Registered No. E.P.-97

रजिस्टर्ड नं० इ० पी०-९७

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 6 अगस्त, 1954

विधान सभा विभाग

अधिसूचना

दिनांक, शिमला, 26 अप्रैल, 1954

स० **LA-109-91/54.**—गवर्नमैंट आफ इन्डिया पार्ट सी स्टेट्स एक्ट, 1951 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 9 अप्रैल, 1954 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसे सर्वसामान्य की सूचना के लिए इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिनियम सं० **VI, 1954**

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953

हिमाचल प्रदेश में भूराजस्व सम्बन्धी विधि को संशोधित करने तथा उस के विषय में घोषणा करने के लिये

अधिनियम

यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, 1953 होगा।

27-Gaz—6-8-54—160. *Price: As. -/2/-*

(2) इसका प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश में होगा।

(3) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे अधिसूचना (notification) द्वारा राज्यशासन इस सम्बन्ध में नियत करे।

2. निरसन (Repeal).—(1) अनुसूची में बतलाये गये अधिनियम उसके तीसरे स्तम्भ (column) में निर्दिष्ट मात्रा तक निरस्त किए जाते हैं।

(2) हिमाचल प्रदेश में अब तक प्रचलित हिमाचल प्रदेश (एप्लीकेशन आफ लौज) आर्डर 1948 [Himachal Pradesh (Application of Laws) Order 1948] अधिनियमों, आनियमनों, नियमों तथा रीवाजों में भूमि के अधिकार अभिलेख बनाने और रखने, भूराजस्व निर्धारण करने तथा एकत्रित करने और तत्सम्बन्धी उपकरों, तथा भूमि सम्बन्धी अन्य विषयों और तत्सम्बन्धी दायित्वों के सम्बन्ध में किसी बात के होते हुए भी वे सब जहां तक इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत है, उसी मात्रा तक निरस्त किए जाते हैं।

(3) यदि किसी अधिनियम अथवा प्रलेख (document) में इस के द्वारा निरस्त अधिनियम निर्दिष्ट हुआ हो तो उसका तात्पर्य इस अधिनियम से होगा।

3. अपवाद—इसके द्वारा निरस्त अधिनियमों, आनियमनों (regulations), नियमों (rules) और रीवाजों के अधीन बनाए गये समस्त नियम, दी गई समस्त अधिसूचनाएं, उद्घोषणाएं, जारी किये गए समस्त आदेश, प्रदत्त अधिकार तथा शक्तियां, निर्मित अधिकार अभिलेख और अन्य अभिलेख, अवाप्त अधिकार, उठाये गए उत्तरदायित्व, किये गये निर्धारण, विभाजन और हस्तांतरण तथा नियत किये गए स्थान और समय, तथा की गई नियुक्तियां और अन्य बातें क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाये गए, दी गईं, जारी किये गये, प्रदत्त, निर्मित, अवाप्त, उठाए गये, नियत हुए तथा की गईं समझी जायेंगी।

4. परिभाषाएं—विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :—

(1) "कृषि वर्ष (agricultural year)" का तात्पर्य जून के सोलहवें दिवस अथवा ऐसे दिनांक से आरम्भ होने वाले वर्ष से है जिसे राज्यशासन अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये नियत करे;

(2) "निर्धारण मंडल (assessment circle)" का तात्पर्य ऐसे सम्पदा समूह से है जिनके विषय में फाइनेन्शियल कमिश्नर की यह सम्मति हो कि उन पर निर्धारित किए जाने वाले भूराजस्व की गणना-हेतु साधारण प्रदर्शिका (general guide) की तरह प्रयोग करने के लिये दर का एक साधारण मापदण्ड अंगीकरण (admit) करने में वे सम्पदा समूह पर्याप्त रूप से समान है। फाइनेन्शियल कमिश्नर की यह सम्मति लेखबद्ध की जायगी;

(3) "भूराजस्व के बकाया" का तात्पर्य ऐसे भूराजस्व से है जो उस दिनांक के पश्चात् भी नहीं चुकाया गया है जिस दिनांक को वह चुकाया जाना चाहिये था;

(4) "बाकीदार" का तात्पर्य भूराजस्व के बकाया के लिये उत्तरदायी व्यक्ति से है तथा इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो बकाया भूराजस्व की चुकती के लिए प्रतिभू (surety) होने के नाते उत्तरदायी हो;

(5) "संपदा" का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है—

(क) जिसके लिये एक भिन्न अधिकार-अभिलेख (records of rights) बनाया गया हो, या

(ख) जिसके भूराजस्व का निर्धारण अलाहिदा हुआ हो या जिसका निधारण इस प्रकार हो जाता यदि भूराजस्व अभित्यक्त (released), निष्क्रीत (redeemed) या अभिसंधित (compounded for, न हुआ होता, या

(ग) जिसे राज्यशासन सामान्य नियम (general rule) अथवा विशेष आदेश द्वारा संपदा घोषित करे;

(6) "राजपत्र" का तात्पर्य है हिमाचल प्रदेश के लिए राजपत्र से;

(7) "खाते (holding)" का तात्पर्य किसी सम्पदा के ऐसे अंश अथवा हिस्से से है जिस पर एक भूस्वामी का कब्जा है अथवा जो दो या दो से अधिक भूस्वामियों के कब्जे में संयुक्त रूप से है;

(8) "भाररोध" का अर्थ व्यक्तिगत अनुदान या संविदा (contract) से पैदा हुआ किसी भूमि पर का भार अथवा भूमि के विरुद्ध दावा है;

(9) "भू-स्वामी" के अंतर्गत काश्तकार या भूराजस्व का अभिहस्तांकिती (assignee of land revenue) नहीं है। परन्तु ऐसा व्यक्ति इस के अन्तर्गत है जिसको इस अधिनियम के अधीन बकाया भूराजस्व की वसूली या बकाया भूराजस्व के रूप में प्राप्य राशि के हेतु कोई खाता हस्तांतरित किया गया है, अथवा कोई सम्पदा या खाता खेती करने के लिये दिया गया है, तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति भी इसके अन्तर्गत है जिसका इस खंड में पहले वर्णन नहीं हुआ है, परन्तु जिसके कब्जे में किसी सम्पदा अथवा सम्पदा का अंश या भाग है अथवा जो किसी सम्पदा से प्राप्त हुये लाभों के किन्हीं भी हिस्सों का उपभोग करता है;

(10) "भूराजस्व" के अन्तर्गत है – अभिहस्तांकित भूराजस्व (assigned land revenue) तथा कोई भी राशि जो किसी भूमि के सम्बन्ध में उन्मोचन शुल्क (quit-rent) के रूप में या सेवाओं के बदले राज्यशासन या किसी ऐसे व्यक्ति को देय (payable) हो जिसे राज्यशासन ने प्राप्य राशि प्राप्त करने का अधिकार अभिहस्तांकित किया हो;

(11) "विधि व्यवसायी (legal practitioner)" का वही अर्थ है जो अर्थ विधि व्यवसायी (legal practitioner) का लीगल प्रैक्टिश्नर ऐक्ट 1879 (Legal Practitioner Act, 1879) में दिया गया है;

(12) किसी सम्पदा अथवा सम्पदाओं के समूह की "शुद्ध सम्पत्ति (net assets)" का तात्पर्य किसी ऐसी सम्पदा अथवा सम्पदाओं के समूह की अनुमानित (estimated) वार्षिक औसत उत्पत्ति से है जो कृषि के अनुमानित (estimated) अथवा निश्चित साधारण व्ययों को घटा कर शेष बचती है।

व्याख्या:—

यदि भूस्वामी निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वस्तुरूप में, अथवा धन द्वारा (in cash or in kind) समस्त अथवा किसी भाग की चुकती प्रथानुसार वहन करता है तो वे कृषि के साधारण व्ययों के अन्तगत होंगे:

(1) जल के स्थानीय कर,
(2) सिंचाई के साधनों का संधारण,
(3) बांधों का संधारण,
(4) बीजों का प्रदाय,
(5) खाद का प्रदाय,

(6) कृषि कर्म (काश्त) के उन्नत औजार,
(7) चारे के सम्बन्ध में दी गई सहायता (concession),
(8) परती भूमि के लिए या खराब फसल होने पर दी गई विशेष कमी,
(9) लगान (rent) एकत्रित करने का व्यय,
(10) लगान एकत्रित करने में हुई कमी को पूरा करने के लिये दी गई छूट (allowance),
(11) कृषि के लिए किसानों को प्रदत्त ब्याज रहित अग्रिम धन पर देय ब्याज,
(12) ऐसे शिल्पकारों तथा निम्न कर्मचारियों को चुकायी गई मजदूरी अथवा दस्तूरी जिनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं अथवा जिनके श्रम का उपयोग कृषि के हेतु या फसल काटने के लिये किया जाता है, तथा ऐसा भाग जो एक काश्तकार द्वारा रखा जा सकता यदि भूमि, सम्पदा या सम्पदा-समूह में वास्तव में प्रचलित सामान्य दर के हिसाब से, वस्तु रूप में या धन द्वारा लगान चुकाने वाले भोक्ता काश्तकार को दी जाती;

(13) "अधिसूचना" से तात्पर्य ऐसी अधिसूचना से है जो राज्यशासन के प्राधिकार से राजपत्र में प्रकाशित की गई हो;

(14) "चुकाना" शब्द जब वैयाकरणीय विभेदों तथा सम्बन्धित अभिव्यक्तियों सहित लगान (rent) के विषय में प्रयुक्त किया जाता है तब वैयाकरणिक विभेदों और सम्बन्धित अभिव्यक्तियों सहित 'प्रदान (deliver)' तथा 'प्रतिपादन (render)' करना भी इसके अन्तर्गत होंगे;

(15) "स्थानीय कर (rates)" तथा "उपकर" का तात्पर्य ऐसे स्थानीय कर तथा उपकर से है जो प्राथमिक रूप में भू-स्वामियों द्वारा चुकाया जाना चाहिए, तथा इस के अन्तर्गत हैं:—

(क) राज्य में प्रचलित विधि के अधीन चुकाये जाने योग्य स्थानीय कर (local rates) और निम्नलिखित कामों से उपलब्ध होने वाले लाभों के उपयोग के लिए, हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अधीन बनाई गई पंचायतों सहित स्थानीय संस्थाओं को चुकाई जाने योग्य फीस—

(अ) बांधों को बनाना, उनकी मरम्मत करना और कृषि के हेतु जल का प्रदाय (supply), संग्रह (storage) और नियन्त्रण,

(आ) भूमि परिरक्षण (preservation) और उसको कृषि योग्य बनाना और दलदलों को कृषि योग्य बनाना तथा जलोत्सारण (drainage),

(ख) ग्राम अधिकारियों के उपकर,

(ग) ग्राम्य व्ययों के कारण देय राशियां;

(16) "लगान", "काश्तकार", "भूमिपति" और "काश्तकारी (tenancy)" के क्रमशः वही अर्थ हैं जो अर्थ इन शब्दों को 'पंजाब टैनेन्सी ऐक्ट, 1887, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है' में दिए गए हैं;

(17) "माल अधिकारी (Revenue-officer)" का इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध में तात्पर्य ऐसे माल अधिकारी से है जिसको उस उपबन्ध के अधीन माल अधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार प्राप्त हों;

(18) "राज्य शासन" का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश राज्यशासन से है;

(19) "मापन चिन्ह (survey mark)" के अन्तर्गत सीमा चिन्ह (boundary mark) हैं;

(20) "ग्राम्य उपकर (village cess)" के अन्तर्गत है, कोई भी ऐसा उपकर (cess), अंशदान (contribution) या दातव्य (due) जो कि प्रचलित प्रथा से

किसी सम्पदा पर लगाया जा सकता है तथा जो न तो वैयक्तिक सम्पत्ति या व्यक्तिगत सेवाओं के लिए की गई चुकती है और न ही तत्कालार्थ प्रचलित अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन लगाया गया है ;

(21) "ग्राम-अधिकारी" का तात्पर्य नम्बरदार, पटवारी अथवा राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी से है।

5. अधिनियम के प्रवर्तन (operation) से कुछ भूमियों को अलग करना.—(1) जहां तक ग्राम्य उपकरों (village cesses) के प्रशासन, वसूली तथा अभिलेख (रिकार्ड) के लिए आवश्यकता हो उस को छोड़कर, यह अधिनियम किसी ऐसी भूमि पर प्रवृत्त नहीं होगा जिस पर किसी कस्बे (town) या ग्राम (village) के लिए रखे गए स्थान (site) के रूप में आधिपत्य किया गया है और जिस पर भूराजस्व निर्धारित नहीं है।

(2) माल अधिकारी इस अधिनियम के हेतु ऐसी किसी भी भूमि की सीमा नियत कर सकेगा।

6. सीमाओं में रूपान्तर (vary) करने और तहसीलों, जिलों और डिविजनों में आपरिवर्तन (alter) करने की शक्ति.—राज्यशासन अधिसूचना द्वारा जिन तहसीलों, जिलों और डिविज़नों में प्रदेश विभक्त है, उनकी सीमाओं में रूपान्तर कर सकेगा और उनकी संख्याओं में आपरिवर्तन कर सकेगा।

अध्याय 2

माल अधिकारी (Revenue-officers)

श्रेणियां तथा शक्तियां

7. माल अधिकारियों की श्रेणियां (classes).—(1) माल अधिकारियों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी, अर्थात्:—

(क) फाइनेन्शियल कमिश्नर,

(ख) कमिश्नर,

(ग) कलेक्टर,

(घ) पहली श्रेणी का एसिस्टैंट कलेक्टर, और

(ङ) दूसरी श्रेणी का एसिस्टैंट कलेक्टर।

(2) जिले का डिप्टी कमिश्नर उस जिले का कलेक्टर होगा।

(3) राज्यशासन, जैसा उचित समझे उसके अनुसार किसी भी एसिस्टैंट कमिश्नर, एक्स्ट्रा ऐसिस्टैंट कमिश्नर अथवा तहसीलदार को प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी का ऐसिस्टैन्ट कलेक्टर नियुक्त कर सकेगा, तथा किसी भी नायब तहसीलदार को द्वितीय श्रेणी का एसिस्टैंट कलेक्टर नियुक्त कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्ति अधिसूचना द्वारा होगी तथा विशेष रूप से व्यक्ति के नाम से अथवा उस के पद की सामर्थ्य से (by virtue of his office) हो सकेगी अथवा एक से अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति भी ऐसे वर्णन (description) से हो सकेगी जो उन की पहिचान के लिए पर्याप्त हो।

(5) फाइनेन्शियल कमिश्नर के अधिकार-क्षेत्र का प्रसार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समस्त हिमाचल प्रदेश में होगा तथा कमिश्नरों, कलेक्टरों और एसिस्टैंट कलेक्टरों का क्रमशः उन डिविजनों और जिलों में होगा जिन में तत्कालार्थ उन को लगाया गया हो।

8. **फाइनेन्शियल कमिश्नर.** —(1) फाइनेन्शियल कमिश्नर एक या एक से अधिक होंगे जो राज्यशासन द्वारा नियुक्त किये जाएंगे।

(2) यदि एक से अधिक फाइनेन्शियल कमिश्नर नियुक्त किए गए हों तो उन के मध्य काय बांटन के हेतु इस अथवा अन्य किसी अधिनियम के अधीन राज्यशासन नियम बना सकेगा, तथा उन नियमों द्वारा किसी मुक़दमे अथवा मुक़दमों (cases) की श्रेणी अथवा श्रेणियों पर फाइनेन्शियल कमिश्नरों द्वारा सामूहिक रूप से विचार करने या उनका निर्णय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) पूर्ववर्ती अन्तिम उपधारा के अधीन बनाए गये नियमों के अधीन जिस मुक़दमे पर फाइनेन्शियल कमिश्नरों द्वारा सामूहिक रूप से विचार अथवा निर्णय किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मुक़दमे के सम्बन्ध में आदेश अथवा डिक्री देने के विषय में यदि फाइनेन्शियल कमिश्नरों में मतभेद होता है तो निम्नलिखित नियम प्रयुक्त होंगे अर्थात्:—

(क) अपील, पुनरीक्षा (review) अथवा पुनरावृत्ति (revision) के मुक़दमे का निर्णय फाइनेन्शियल कमिश्नरों के बहुमत के अनुसार होगा, अथवा, यदि अपील, पुनरीक्षा या पुनरावृत्ति पर दिए गये आदेश या डिक्री को संपरिवर्तित करने या उलटने के निर्णय में बहुमत की सम्मति न हो तो ऐसी डिक्री अथवा आदेश को अभिपुष्ट (affirm) किया जाएगा; तथा

(ख) यदि मुक़दमा अपील, पुनरीक्षा या पुनरावृत्ति का नहीं है तो मतभेद का विषय राज्यशासन को निर्दिष्ट किया जाएगा और तत्सम्बन्धित विषय में राज्यशासन का फैसला अन्तिम होगा।

(4) एक से अधिक फाइनेन्शियल कमिश्नरों के होने पर इस अथवा अन्य किसी अधिनियम में अभिव्यक्ति 'फाइनेन्शियल कमिश्नर' का तात्पर्य उपधारा (2) के अधीन तत्कालार्थ प्रचलित नियमों द्वारा अपेक्षित एक अथवा एक से अधिक फाइनेन्शियल कमिश्नरों से होगा।

9. **कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, एसिस्टेंट कमिश्नरों तथा एक्सट्रा ऐसिस्टेंट कमिश्नरों की नियुक्ति.**—कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, एसिस्टेंट कमिश्नरों तथा एक्सट्रा एसिस्टेंट कमिश्नरों की नियुक्ति राज्यशासन द्वारा की जायगी।

10. तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों की नियुक्ति.—नियुक्ति के लिये तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों की संख्या राज्यशासन नियत करेगा ।

11. माल अधिकारियों की शक्तियां.—ऐसी अवस्था को छोड़ कर जहां इस अधिनियम में यह विशिष्ट किया गया है कि अमुक श्रेणी का माल अधिकारी अमुक कार्य का सम्पादन करेगा, राज्यशासन अधिसूचना द्वारा यह निश्चित कर सकेगा कि अमुक श्रेणियों वाले माल अधिकारी अमुक कार्यों का सम्पादन करेंगे ।

प्रशासनीय नियन्त्रण

12. माल अधिकारियों पर अधीक्षण (superintendence) तथा नियन्त्रण.—(1) फाइनेन्शियल कमिश्नर राज्यशासन के नियन्त्रणाधीन होगा ।

(2) बाकी समस्त माल अधिकारियों पर सामान्य अधीक्षण तथा नियन्त्रण फाइनेन्शियल कमिश्नर में निहित होगा तथा वे सब फाइनेन्शियल कमिश्नर के अधीन होंगे ।

(3) फाइनेन्शियल कमिश्नर के सामान्य अधीक्षण तथा नियन्त्रण के अधीन रहते हुए कमिश्नर का, यदि कोई हो, तो अन्य समस्त माल अधिकारियों पर नियन्त्रण होगा ।

(4) पूर्व कथित के अधीन तथा कमिश्नर के नियन्त्रणाधीन रहते हुए कलेक्टर का अपने जिले के समस्त माल अधिकारियों पर नियन्त्रण होगा ।

13. कार्य बांटने और मुक़दमें वापस लेने और हस्तांतरण करने की शक्ति.—(1)फाइनेन्शियल कमिश्नर, कमिश्नर या कलेक्टर अपने नियन्त्रणाधीन माल अधिकारियों द्वारा संज्ञेय कार्यों को लिखित आदेश द्वारा, जिस प्रकार उचित समझे, बांट सकेगा ।

(2) फाइनेन्शियल कमिश्नर, कमिश्नर या कलेक्टर अपने नियन्त्रणाधीन माल अधिकारी के विचाराधीन मुक़दमें (pending cases) वापस ले सकेगा और उनका फैसला या तो स्वयं ही कर सकेगा अथवा लिखित आदेश द्वारा अपने नियन्त्रणाधीन किसी अन्य माल अधिकारी को फैसला करने क लिये भेज सकेगा ।

(3) उपधारा (1) अथवा (2) के अधीन आदेश द्वारा कोई भी अधिकारी ऐसी शक्तियों को प्रयोग करने अथवा ऐसे कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया जायगा जिस को वह अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के अन्तर्गत करने योग्य नहीं है ।

अपील, पुनरीक्षण तथा पुनरावृत्ति

14. अपीलें.—इस अधिनियम में जहां अन्यथा व्यवस्था की गई हो उस को छोड़ कर माल अधिकारी के मूल अथवा अपील आदेश (appellate order) पर निम्नलिखित के अनुसार अपील हो सकेगी :—

(क) जब किसी भी श्रेणी के एसिस्टेंट कलेक्टर ने आदेश दिया हो तो कलेक्टर के पास;

(ख) जब कलेक्टर ने आदेश दिया हो तो कमिश्नर के पास;

(ग) जब कमिश्नर ने आदेश दिया हो तो फाइनेन्शियल कमिश्नर के पास : परन्तु

(अ) यदि पहली अपील पर मूल आदेश पुष्ट हो जाता है तो आगे उस की अपील नहीं होगी ;

(आ) यदि अपील पर कलेक्टर द्वारा ऐसा आदेश संपरिवर्तित अथवा प्रतिवर्तित कर दिया जाता है और कमिश्नर के पास अपील की जाती है तो ऐसी अपील पर, यदि कोई हो, कमिश्नर का निर्णय अन्तिम होगा।

15. अपीलों की परिसीमा (limitation).—इस अधिनियम में जहां अन्यथा व्यवस्था की गई हो उस को छोड़ कर, पूर्ववर्ती अन्तिम धारा के अधीन अपील की परिसीमा अवधी उस दिनांक से गिनी जायगी जो दिनांक ऐसे आदेश में दिया गया हो जिस के विरुद्ध अपील की गई है तथा निम्नलिखित अनुसार होगी, अर्थात :

(क) जब अपील कलेक्टर के पास को जाती है तो तीस दिन ;

(ख) जब अपील कमिश्नर के पास की जाती हो साठ दिन ;

(ग) जब अपील फाइनेन्शियल कमिश्नर के पास की जाती है तो नब्बे दिन।

16 माल अधिकारियों द्वारा पुनरीक्षण. - (1) माल अधिकारी स्वयं अथवा स्वत्व रखने वाले पक्ष के प्रार्थनापत्र पर अपने दिए हुए अथवा पूर्व पदाधिकारियों के दिए हुए आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगा तथा इस प्रकार पुनरीक्षण करने के पश्चात् ऐसे आदेश को संपरिवर्तित (modify) कर सकेगा अथवा पुष्ट कर सकेगा, या उलट सकेगा: परन्तु

(क) जब कोई कमिश्नर या कलेक्टर, कोई ऐसा आदेश जो उसने स्वयं न दिया हो पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक समझता है, और जब कलेक्टर से कम श्रेणी का माल अधिकारी अपने अथवा पूर्व पदाधिकारियों के किसी आदेश का पुनरीक्षण किया जाना प्रस्तावित करता है तो वह पहले ऐसे माल अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेगा जिस के नियंत्रण में वह सबसे अधीन हो ;

(ख) किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए कोई प्रार्थनापत्र ग्रहण नहीं किया जाएगा यदि प्रार्थनापत्र ऐसे आदेश देने की तिथि के बाद नब्बे दिन के अन्दर नहीं दिया गया है अथवा यदि प्रार्थी माल अधिकारी का यह समाधान नहीं करा देता है कि उस अवधि के अन्दर प्रार्थनापत्र न दे सकने के लिए पर्याप्त कारण उपस्थित थे ;

(ग) कोई आदेश संपरिवर्तित न किया जाएगा अथवा उलटा न जाएगा जब तक कि इस से प्रभावित पक्षों को आदेश के हक्क में उपस्थित होने तथा सुनवाई करने के लिए उचित सूचना न दी गई हो ;

(घ) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो उस आदेश का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

(2) जिस माल अधिकारी ने जिला छोड़ दिया हो या जो माल अधिकारी के पद की शक्तियां प्रयोग करने से वंचित हो गया हो तथा जिस के पद का कोई उत्तराधिकारी न हो

ऐसे निम्न श्रेणी के माल अधिकारी के पद पर इस धारा के प्रयोजनार्थ कलेक्टर उत्तराधिकारी समझा जाएगा।

(3) ऐसे आदेश पर अपील नहीं होगी जिस के द्वारा पुनरीक्षण किया जाना अस्वीकृत कर दिया गया हो अथवा पुनरीक्षण करने पर पिछला आदेश पुष्ट कर दिया गया हो।

17. माल अधिकारियों की कार्यवाही की पुनरावृत्ति तथा परीक्षा करने की शक्ति.—(1) फाईनन्शियल कमिश्नर अपने अधीन किसी माल अधिकारी के विचाराधीन किसी मुक़दमे के कागजात मगवा सकेगा।

(2) कमिश्नर अथवा कलेक्टर अपने नियन्त्रणाधीन किसी माल अधिकारी के विचाराधीन या उसके द्वारा निर्णीत किसी मुक़दमे के कागजात मगवा सकेगा।

(3) यदि ऐसे मुक़दमे के सम्बन्ध में जिस के कागजात कमिश्नर अथवा कलेक्टर ने मगवाए हैं, उसकी यह मति (opinion) है कि उस में की गई कायवाही अथवा दिये गए आदेश को संपरिवर्तित कर दिया जाना चाहिए या उस को उलट दिया जाना चाहिए तो वह अपने विचारों सहित ऐसा मुक़दमा फाइनेन्शियल कमिश्नर के पास उसके द्वारा आदेश देने के हेतु भेज देगा।

(4) फाइनेन्शियल कमिश्नर ऐसे मुक़दमे पर, जो उसने उपधारा (1) के अधीन स्वयं मंगाया हो अथवा उपधारा (3) के अधीन उस के पास भेजा गया हो, जैसा उचित समझे, ऐसा आदेश देगा :

परन्तु छोटे (subordinate) माल अधिकारी के आदेश अथवा कायवाही को संपरिवर्तित करने अथवा उलटने का तथा व्यक्तियों के मध्य अधिकार के प्रश्न पर प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश वह इस धारा के अधीन तब तक नहीं देगा जब तक कि उन व्यक्तियों को सुनवाई का मौका न दिया गया हो।

प्रक्रिया (Procedure)

18. प्रक्रिया के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति.—(1) इस अधिनियम द्वारा जिन मुक़दमों की प्रक्रिया विनिहित न हुई हो उन के विषय में इस अधिनियम के अधीन माल अधिकारियों की प्रक्रिया का विनियमन करने के हेतु राज्य शासन इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगा।

(2) अन्य विषयों के साथ ही साथ अचल सम्पत्ति का कब्जा प्रदान करने तथा निष्कासन कराने के आदेशों को पालन करवाने की रीति की व्यवस्था भी उक्त नियमों में हो सकेगी, तथा उन विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने वाले नियमों द्वारा किसी भी माल अधिकारी को न्यायालय अपमान, रोध (resistence) तथा किसी डिक्री, जिन में ऐसी सम्पत्ति का निष्कासन अथवा कब्जा देने का निर्णय किया हो, उस के निष्पादन के विषय में जो शक्तियां दीवानी न्यायालय प्रयोग कर सकता है, वैसी समस्त या कोई भी शक्तियां दी जा सकेंगी।

(3) इस धारा के अन्तर्गत नियमों के अधीन रहते हुए एक माल-अधिकारी दूसरे ऐसे माल-अधिकारी को अनुसन्धान करने अथवा प्रतिवेदन (report) देने के हेतु कोई भी ऐसा मुक़दमा

निर्दिष्ट कर सकेगा जिसको व्यवस्थापित करने के लिये वह इस अधिनियम के अधीन अधिकृत हो ।

19. वे व्यक्ति जो माल अधिकारी के सामने उपस्थित होंगे अथवा जिन के द्वारा उस को प्रार्थनापत्र दिए जायेंगे.—(1) माल अधिकारी के सन्मुख उपस्थिति, प्रार्थनापत्र तथा कार्य ;-

(क) पक्षों द्वारा स्वयं, या

(ख) उन से अभिज्ञात एजेन्टों या विधि व्यवसायिओं द्वारा हो सकेगी, दिये जा सकेंगे अथवा किए जा सकेंगे :

परन्तु किसी अभिज्ञात एजेन्ट अथवा विधि व्यवसायिओं को सेवायुक्त करने से किसी ऐसी कार्यवाही में, जिस में व्यक्तिगत उपस्थिति के लिये किसी अधिकारी द्वारा विशेष रूप से आदेश दिया गया हो, पक्ष की व्यक्तिगत उपस्थिति क्षमा नहीं हो सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ अभिज्ञात एजेन्ट ऐसे होंगे जैसा कि राज्यशासन इस विषय में अधिसूचना द्वारा घोषित करे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी माल अधिकारी के सन्मुख किसी कार्यवाही के व्यय में विधि व्यवसायी की फीस नहीं गिनी जायगी जब तक कि अधिकारी की सम्मति में किन्हीं ऐसे कारणों के आधार पर, जोकि लेखबद्ध किये जायेंगे फीस व्यय के अन्तगत गिनी जानी स्वीकार्य न हो ।

20. माल अधिकारी की व्यक्तियों को समन देने की शक्ति.—(1) माल अधिकारी के रूप में कार्य सम्पादन करने के हेतु यदि माल अधिकारी किसी व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक समझता है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को वह समन दे सकेगा ।

(2) इस रीति से जिस व्यक्ति को समन दिया गया है वह व्यक्ति स्वयं अथवा यदि समन में स्वीकृति दी गई हो तो अपने अभिज्ञात एजेन्ट अथवा विधि व्यवसायी द्वारा समन में बतलाये गये समय तथा स्थान पर उपस्थित होने के लिये बाध्य होगा ।

(3) समन के पालनार्थ उपस्थित व्यक्ति जिस विषय में विवरण देता है अथवा जिस विषय में उस का परीक्षण किया जाता है उस के सम्बन्ध में वह सत्य विवरण देने तथा माल अधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी विषय के सम्बन्ध में प्रलेख (document) अथवा अन्य वस्तुएं प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा ।

21. समन तामील कराने की रीति.—(1) माल अधिकारी द्वारा जारी किये गये समन की तामील यदि सम्भव हो-(क) उस व्यक्ति द्वारा व्यक्ति गत रूप से करायी जायगी जिस के नाम पर समन जारी हुआ हो, उस के न मिलने पर, (ख) उस के अभिज्ञात एजेन्ट द्वारा, अथवा (ग) उस के साथ साधारणतया रहने वाले उस के कुटुम्ब के वयस्क पुरुष द्वारा करायी जायगी ।

(2) यदि समन की तामील इस प्रकार न की जा सके और यदि समन की ऐसी तामील से इन्कार कर दिया जाए तो जिस व्यक्ति के नाम पर समन दिया गया हो उस के साधारणतया रहने के स्थान पर अथवा जिस ज्ञात स्थान पर वह अन्त में रहा हो उस स्थान पर समन की प्रतिलिपि चिपका कर समन की तामील कर दी जायगी अथवा यदि वह व्यक्ति माल-अधिकारी के क्षेत्राधिकार के जिले में नहीं रहता है

और जिस मुक़द्दमे के विषय में समन की तामील की गई है उस से सम्बन्धित भूमि उस के क्षेत्राधिकार में है, तो जिस समीप की सम्पदा में भूमि स्थित है उस के किसी ध्यानाकर्षी (conspicuous) स्थान पर समन की प्रतिलिपि चिपका कर तामील कर दी जाएगी ।

(3) यदि किसी ऐसे मुक़द्दमे के विषय में समन की तामील करनी है जिस में स्वत्व रखने वाले पक्ष इतने अधिक हैं कि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक को समन तामील करना उचित प्रकार से सम्भव न हो तो ऐसी दशा में यदि माल अधिकारी आदेश दे तो समन की तामील उस की प्रतिलिपि मालाधिकारी द्वारा उन में से इस हेतु मनोनीत व्यक्तियों को भेज कर तथा स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों की सूचना के लिए उस के विषय की उद्घोषणा द्वारा की जाएगी।

(4) यदि माल अधिकारी ऐसा निदेश दे तो समन में लिखे व्यक्ति के नाम पर ऐसा समन डाक द्वारा पत्र के रूप में उस का पता लिख कर और इण्डियन पोस्ट आफिस ऐक्ट 1898 (Indian Post Office Act, 1898) के part III के अनुसार रजिस्टर करवा कर समन की तामील हो सकेगी और यह अन्य प्रकार की तामील की बजाए या उनके अतिरिक्त होगी।

(5) जब समन पत्र द्वारा भेज दिया गया है और यह प्रमाणित हो जाता है कि पत्र पर ठीक पता लिखा था और वह उचित प्रकार से डाक में भेज दिया गया था तथा रजिस्टर करवाया गया था, तो माल अधिकारी यह मान लेगा कि डाक से साधारणतया पत्र जिस समय प्रदान होता है उस समय समन की तामील हो गई थी।

22. सूचना (notice) आदेश और उद्घोषणा (proclamation) और उनकी प्रतिलिपि की तामील की रीति.— माल अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के लिए जारी की गई सूचना उदघोषणा या दिए गए आदेश या ऐसे प्रलेख की प्रतिलिपि की तामील पूर्ववर्ती अन्तिम धारा में समन की तामील के लिए दी गई रीति के अनुसार की जाएगी ।

23. उद्घोषणा करने की रीति.—जब किसी माल अधिकारी द्वारा किसी भूमि से सम्बन्धित सूचना जारी की जाए तो इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध में विनिहित की जा सकने वाली प्रकाशन की रीति के अतिरिक्त ऐसी उद्घोषणा ढोल बजा कर तथा उसकी प्रतिलिपि तत्सम्बन्धित भूमि में या समीप के ध्यानाकर्षी स्थान पर चिपका कर अथवा अन्य प्रचलित प्रथा के अनुसार की जाएगी।

अनुपूरक उपबन्ध

24. इजलास के स्थान.— (1) जिस ज़िले में ऐसिस्टैंट कलेक्टर पदाधिकारी हो उस ज़िले की सीमा के भीतर किसी भी स्थान में, वह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(2) कोई भी अन्य माल अधिकारी केवल अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंदर इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का ही प्रयोग कर सकेगा।

25. छुट्टियां.— (1) फाइनेन्शियल कमिश्नर राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त करके पत्री वर्ष (Calendar Year) के प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त अथवा किसी माल अधिकारी द्वारा मनाई जाने वाली छुट्टियों की सूची राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा।

(2) कोई भी कार्यवाही केवल इस आधार पर अमान्य नहीं की जा सकेगी कि जिस दिन माल अधिकारी के सन्मुख कार्यवाही पूरी की गई थी वह दिन सूची में ऐसी छुट्टी का दिन था जो कि माल अधिकारी द्वारा मनाई जानी चाहिए थी।

26. किसी कलैक्टर की मृत्यु होने पर अथवा असमर्थ हो जाने पर उस के कार्यों का सम्पादन.—जब किसी कलेक्टर की मृत्यु हो जाती है अथवा वह अपने कर्त्तव्य पालन से आशक्त हो जाता है तो जिले के मुख्य प्रशासन के निष्पादन हेतु राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा उस के पद पर अस्थाई रूप से उतरगामी हुआ अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कलैक्टर माना जायेगा।

27. बदली होने पर माल अधिकारियों द्वारा शक्ति प्रतिधारण (Retention).—जब किसी भी श्रेणी के माल अधिकारी को इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार किसी भी स्थानीय क्षेत्र में शक्तियां प्रयोग करने का अधिकार दिया गया हो और उसकी बदली उस स्थानीय क्षेत्र से अन्य स्थान को उसी या ऊंची श्रेणी के पद पर हो जाती है और यदि राज्य शासन अन्यथा निदेश नहीं देता है या राज्य शासन ने अन्यथा निदेश न दिया हो तो वह माल अधिकारी के अधिष्ठाता के रूप में अन्य स्थानीय क्षेत्र में भी वैसी ही शक्तियों का प्रयोग करता रहेगा।

28. माल अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करना.—(1) राज्य शासन अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान कर सकेगा और इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को वापस ले सकेगा :-

(क) इस अधिनियम के अधीन फाईनेन्शियल कमिश्नर, कमिश्नर या कलक्टर की समस्त अथवा कोई भी शक्तियां, या

(ख) ऐसी समस्त या कोई भी शक्तियां जो अधिसूचना के अधीन किसी ऐसिस्टैंट कलैक्टर को दी जा सकती हों।

(2) जिस व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन शक्तियां प्रदान की गई हों वह इन शक्तियों का प्रयोग ऐसी स्थानीय सीमाओं में, ऐसे मुकद्दमों की श्रेणियों के विषय में करेगा जैसा कि इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट किया जाय तथा यदि राज्य शासन ने अन्यथा निर्दिष्ट न किया हो, तो वह व्यक्ति तत्सम्बन्धी प्रयोगों के समस्त प्रयोजनों के हेतु, यथास्थिति, फाईनेन्शियल कमिश्नर, कलैक्टर अथवा ऐसिस्टैंट कलैक्टर समझा जायेगा।

(3) यदि राज्य शासन ने विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया हो और इस अधिनियम के अधीन शक्तियां किसी ऐसिस्टैंट कलक्टर को प्रदान की गई हों तो वे शक्तियां ऐसिस्टैंट कलैक्टर द्वारा कलैक्टर के नियन्त्राधीन रहते हुए प्रयोग में लाई जायेंगी।

अध्याय 3

कानूनगो और ग्राम अधिकारी

29. कानूनगो और ग्राम-अधिकारियों के सम्बन्ध में नियम.—कानूनगो और ग्राम-अधिकारियों की नियुक्ति, कर्त्तव्यों, प्राप्तियों, दण्ड, मुअत्तल करने (suspension) और उन को पदच्युत करने के सम्बन्ध में, आनियमन करने के लिये, राज्यशासन नियम बना सकता है ।

प्रशासनीय नियंत्रण

30. ग्राम अधिकारी उपकर.— (1) जिन प्रदेशों का प्रशासन तत्कालार्थ राज्यशासन करता हो उनकी किसी सम्पदा या सम्पदाओं पर, उन प्रदेशों में कार्य करने वाले नम्बरदारों को वेतन देने के लिये या उन अधिकारियों के पर्य्यवेक्षण या कार्य सम्पादन से सम्बन्धित व्ययों को पूरा करने के विषय में राज्य शासन अधिसूचना द्वारा उपकर लगा सकेगा तथा ऐसे उपकर का दर राज्यशासन द्वारा उचित समझे गए सम्पदाओं के मूल्य पर आधा आना प्रति रुपए से अधिक नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) में 'वार्षिक मूल्य' का अर्थ निम्नलिखित है, अर्थात :—

(क) किसी भूमि पर तत्कालार्थ निर्धारित भू-राजस्व का दुगना चाहे निर्धारण लगाया जा सकने योग्य हो या न हो; या

(ख) जहां भू-राजस्व स्थाई रूप में निर्धारित है या पूरे तौर से अथवा अंशतः अभिसंधित (compounded for) या निष्क्रीत (redeem) हो गया है तो ऐसी दशा में जो राशि ऐसे स्थाई निर्धारण, अभिसन्धि (composition) या निष्क्रयण न होने पर लगाई जा सकती थी, उस का दुगना; या

(ग) जहां कोई भी भूराजस्व निर्धारित नहीं है वहां ग्राम को औसत स्थानीय कर लगा हुआ होने पर जो राशि निर्धारित हुई होती तो उसका दुगना :

परन्तु कोई भूखण्ड जिस में तत्काल प्रचलित बन्दोबस्त के अधीन जो कुहल या अन्य कृत्रिम सिंचाई की भूमि के सुधार के लिये भूराजस्व निर्धारित करते समय लेखे से निकाल दी गई हो और सुधार पर एक स्थानीय कर लगा दिया गया हो, तो वह स्थानीय कर वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिये भूराजस्व में बढ़ा दिया जायेगा ।

(3) फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) ग्राम अधिकारी उपकर (village officers' cess) के संग्रह, नियंत्रण और व्यय के लिये नियम बना सकता है ।

(4) उपधारा (1) में बताए गये प्रयोजनों के हेतु किसी स्थानीय क्षेत्र में लगाये गये विद्यमान कर विधिपूर्वक आरोपित माने जाएंगे और जब तक उस उपधारा के अधीन ग्राम अधिकारी उपकर नहीं लगाया जाता तब तक उन का लगाया जाना विधि अनुसार माना जायगा और इस धारा के हेतु वह उपकर होगा ।

31. ग्राम्य अधिकारियों के परिलाभ की कुर्की तथा अभिहस्तांकन पर आयन्त्रण.—(1) किसी भी दावानी अथवा राजस्व के न्यायालय के आदेश द्वारा दी गई डिक्री के निष्पादन में किसी ग्राम्य अधिकारी के परिलाभ कुर्क नहीं हो सकेंगे ।

(2) ऐसे किसी भी परिलाभ का अभिहस्तांकन अथवा उस पर भार अथवा उसको अभिहस्तांकित या भारित करने के लिए किये गये निबंन्ध शून्य होंगे यदि फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) के नियमों द्वारा ऐसा करना अधिकृत न हुआ हो ।

अध्याय ४

अभिलेख

अधिकार अभिलेख तथा वार्षिक अभिलेख

32. अधिकार अभिलेख तथा उसमें बताये गये प्रलेख.—(1) यदि इस अध्याय द्वारा अन्यथा कोई व्यवस्था न की गई हो तो प्रत्येक सम्पदा के लिए एक अधिकार अभिलेख होगा ।

(2) सम्पदा के अधिकार अभिलेख के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रलेख होंगे, अर्थात.—

(क) ऐसे विवरण जिस में निम्नलिखित विषय, जहां तक व्यवहार्य हो सके, दिखाए गये हों:—

(अ) ऐसे व्यक्ति जो कि संपदा के भूस्वामी, काश्तकार या भूराजस्व के अभिहस्तांकिती हैं, या जो किसी लगान, सम्पदा की उपज या लाभ प्राप्त करने या उसकी भूमि लेने के अधिकारी हैं;

(आ) उन व्यक्तियों के स्वत्वों की प्रकृति तथा प्रसार और सीमा और उस से सम्बन्धित निर्बन्धों और दायित्वों का विवरण; तथा

(इ) उन व्यक्तियों के मध्य, और उन व्यक्तियों और राज्यशासन के मध्य लगान, भूराजस्व स्थानीय उपकर या अन्य भुगतानों का लेन देन;

(ख) सम्पदा के अधिकारों और दायित्वों से सम्बन्धित रिवाजों का विवरण;

(ग) सम्पदाओं का एक नक्शा; और

(घ) अन्य कोई ऐसा प्रलेख जैसा कि फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) राज्यशासन की पूर्व अनुमति से विनिहित करे ।

33. विशेष रूप से अधिकार अभिलेख बनाना या विशेष रूप से उनकी पुनरावृति.—(1) जब राज्यशासन को यह जान पड़े कि किसी सम्पदा का अधिकार अभिलेख नहीं है, या प्रचलित अधिकार अभिलेख को विशेष रूप से पुनरावृत करने की आवश्यकता है, तो राज्यशासन स्थितिअनुसार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि अधिकार अभिलेख बनाये जाएं या प्रचलित अधिकार अभिलेख विशेष रूप से पुनरावृत किये जाएं ।

(2) अधिसूचना में यह निर्दिष्ट किया जा सकेगा कि किसी स्थानीय क्षेत्र में समस्त या किसी सम्पदा के अधिकार अभिलेख बनाये जाएंगे या विशेष रूप से पुनरावृत किये जाएंगे ।

(3) इस धारा के अधीन किसी सम्पदा के लिए बनाया गया या विशेष रूप से पुनरावृते किया गया अधिकार-अभिलेख उस सम्पदा का अधिकार अभिलेख समझा जाएगा किन्तु इस का प्रभाव राज्य के पक्ष में ऐसी किसी सम्भावना पर न होगा जोकि पिछले अधिकार अभिलेख से पहले ही उत्पन्न हो चुकी है ।

34. वार्षिक-अभिलेख.—(1) कलैक्टर प्रत्येक सम्पदा के पटवारी से वार्षिक या ऐसी अन्य अन्तरावधि पर, जैसे कि फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) विनिहित करे, इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार संशोधित अधिकार-अभिलेखों का एक संस्करण तैयार करायेगा।

(2) अधिकार-अभिलेखों का यह संस्करण सम्पदा का वार्षिक अभिलेख कहलायेगा, और उस में धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में कहे गए विवरण और ऐसे अन्य प्रलेख, यदि कोई हों, जो फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) राज्यशासन की पूर्व अनुमति से विनिहित करे, भी उसमें सम्मिलित होंगे।

(3) वार्षिक अभिलेख तैयारी के लिये, कलैक्टर प्रत्येक सम्पदा के पटवारी से इन्तकाल का रजिस्टर और ऐसे अन्य रजिस्टर जैसे कि फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) विनिहित करे, समारक्षित करायेगा (cause to be kept up)।

अभिलेखों को बनाने की प्रक्रिया

35. वार्षिक अभिलेख के उस भाग को बनाना जिस का सम्बन्ध भूस्वामियों भूराजस्व के अभिहस्तांकितियों और भोक्ता काश्तकारों से है.—(1) उत्तराधिकार द्वारा अर्जित करने से, बन्धक द्वारा, दान से या अन्यथा किसी सम्पदा पर भूस्वामी, भूराजस्व के अभिहस्तांकिती या आभोग अधिकार रखने वाले काश्तकार के रूप में अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी अधिकार प्राप्ति की रिपोर्ट पटवारी को देगा।

(2) यदि अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति अवयस्क (minor) या अन्यथा नियोग्य हो तो उस का संरक्षक (gaurdian) या उसकी सम्पत्ति को देख रेख करने वाला अन्य व्यक्ति पटवारी को रिपोर्ट देगा।

(3) पटवारी अपने इन्तकाल के रजिस्टर में ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को दर्ज करेगा जो उस को उपधारा (1) या (2) के अधीन दी गई हो, और उस में पूर्वोक्त रीति से प्राप्त किये हुये ऐसे अधिकार के विषय में भी प्रविष्टि करेगा, जिस के विषय में उसे यह विश्वास हो कि उस का प्राप्त होना सत्य है, और जिसकी रिपोर्ट उन उपधाराओं के अधीन की जानी चाहिये थी और वह अभी तक उस को नहीं की गई।

(4) इस प्रकार जिस व्यक्ति को उत्तराधिकार या अन्यथा कब्जा प्राप्त हुआ हो, उस व्यक्ति का दावा या प्रार्थना पत्र कोई भी दीवानी न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने इस धारा के अनुसार अपेक्षित रिपोर्ट न दी हो।

(5) माल अधिकारी समय २ पर इन्तकाल के रजिस्टर की सारी प्रविष्टियों की शुद्धता के बारे में, और ऐसी पीछे कही गई सारी अधिकार प्राप्तियों के बारे में जोकि उसकी दृष्टि में आए, और जिनकी कि पूर्ववर्ती उपधाराओं के अधीन पटवारी को रिपोर्ट कर देनी चाहिये थी और रजिस्टर में प्रविष्टि कर देनी चाहिये थी, परीक्षण करेगा और वार्षिक अधिकार अभिलेख में प्रविष्टि के बारे में प्रत्येक दशा में वह ऐसा आदेश देगा, जैसा कि उचित समझे।

(6) ऐसी प्रविष्टि उस अभिलेख में प्राप्त अधिकार के वर्णन द्वारा निविष्ट (insert) की जायगी, और पिछले किसी भी अभिलेख में ऐसी कोई भी प्रविष्टि जो कि ऐसी प्राप्ति द्वारा ठीक न रही हो उस पहले तैयार किये गये अभिलेख में से विलोपित कर दी जायेगी।

36. वार्षिक अभिलेख के उस भाग का बनाना जिस का कि अन्य व्यक्तियों से सम्बन्ध है.—अन्तिम पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकार के अतिरिक्त भूमि के किसी स्वत्व की प्राप्ति :—

(क) यदि बिना विवाद के है तो पटवारी उसे इस प्रकार अभिलेखित करेगा, जैसा कि फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) इस बारे में नियमों द्वारा विनिहित करे, और

(ख) यदि विवाद वाली है तो यह इन्तकाल के रजिस्टर में पटवारी द्वारा प्रविष्ट की जाएगी और उस का उस प्रकार संव्यवहार किया जाएगा, जैसा कि अन्तिम पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (5) और (6) में विनिहित किया गया है।

37. विवादों का निश्चय.—(1) यदि किसी अभिलेख को बनाते, पुनरावृत्त या तैयार करते समय या इस अध्याय के अधीन कोइ पूछ ताछ करते समय किसी ऐसे विषय के बारे में जिस की कि अभिलेख या इन्तकाल के रजिस्टर में प्रविष्टि होनी हो, कोई विवाद उठे तो माल अधिकारी स्वत: या किसी स्वत्व रखने वाले पक्ष के प्रार्थना पत्र मिलने पर, किन्तु आगामी उत्तरवर्ती धारा के अधीन रहते हुए और ऐसी पूछ ताछ के उपरान्त जैसी कि उचित समझे, उस विषय की प्रविष्टि का निश्चय करेगा।

(2) यदि ऐसे किसी विवाद में माल अधिकारी का यह समाधान न हो सके कि विवाद वाली सम्पति का अधिकारी कौन सा पक्ष है तो वह हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम नं० VI, 1953 (Himachal Pradesh Panchayat Raj Act No. VI,1953) के अधीन अधिकृत ग्राम पचायत, या फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) द्वारा विनिहित किसी अन्य एजेन्सी से या संक्षिप्त पूछ ताछ द्वारा यह निश्चय करेगा कि कौन सा व्यक्ति सम्पत्ति का सर्वोत्तम अधिकारी है और आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि उक्त व्यक्ति को उस सम्पत्ति का अधिकार दे दिया जाए और उस आदेश के अनुसार अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्ट कर दी जाये।

(3) उपधारा (2) के अधीन मालअधिकारी द्वारा दिया गया आदेश उस अनुवर्ती डिक्री या आदेश के अधीन होगा जो किसी उचित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा दिया जा सके

38. अभिलेख में प्रविष्टियों का रूपान्तर करने पर नियंत्रण—धारा 36 के खण्ड (क) के अधीन उस धारा में निर्दिष्ट किसी विवाद रहित स्वत्व की प्राप्ति के सम्बन्ध में पटवारी द्वारा वार्षिक अभिलेख में की गई प्रविष्टियों के सिवाये, अनुवर्ती अभिलेखों में अधिकार अभिलेखों या वार्षिक अभिलेखों की प्रविष्टियों को, निम्नलिखित अवस्थाओं को छोड़ कर, रूपान्तरित नहीं किया जाएगा :—

(क) ऐसे तथ्य, जिन का होना प्रमाणित या अंगीकृत हो, उन के अनुसार प्रविष्टियां करना;

(ख) ऐसी प्रविष्टियां करना जिस से कि सारे स्वत्व रखने वाले पक्ष सहमत हों, या ऐसी प्रविष्टियां करना जो उन पक्षों पर बाध्य डिक्री अथवा आदेश द्वारा समर्थित हों;

(ग) नए नक्शों का बनाया जाना जहां पर कि उन का बनाया जाना आवश्यक है।

39. इन्तकाल की फीसें.—(1) राज्यशासन इस अध्याय के अधीन समस्त अथवा किसी अभिलेख या रजिस्टर में समस्त या किसी श्रेणी की प्रविष्टियों और ऐसी प्रविष्टियों की प्रतिलिपियों के लिये फीस का परिमाण (scale) नियत कर सकता है।

(2) प्रविष्टि के बारे में फीस उस व्यक्ति द्वारा देय होगी जिस के पक्ष में प्रविष्टि की जाती है।

40. धारा 35 में निर्दिष्ट किसी अधिकार प्राप्ति की रिपोर्ट देने में असावधानी करने पर शास्ति.—जो व्यक्ति धारा 35 के अनुसार अपेक्षित, उस धारा में निर्दिष्ट अधिकार की प्राप्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर रिपोर्ट नहीं करता है उसको कलैक्टर की मरफी पर फीस की राशि जोकि अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन निर्दिष्ट किये हुए परिमाण के अनुसार अधिकार प्राप्ति के उपार्जन के शीघ्र ही उपरान्त दी जानी चाहिए थी, से पांच गुणी राशि तक दण्ड किया जा सकता है।

41. अभिलेखों की तैयारी के लिये सूचना प्रदान करने का आभार.—उस व्यक्ति को जिस के अधिकार, स्वत्व या दायित्वों की इस अध्याय के अधीन किसी अभिलेख में प्रविष्टि होनी है किसी माल अधिकारी या ग्राम अधिकारी, जो कि अभिलेख का संकलन कर रहा हो, के अधिग्रहण (requisition) पर ऐसी तमाम सूचना, जो कि इस के शुद्ध संकलन के लिये आवश्यक हो, प्रदान करनी पड़ेगी।

राज्यशासन के अधिकार और उससे तथा अन्य विषयों में सम्बन्धित अनुमान

42. शासन का खान तथा खनिज पर अधिकार.—धातु और कोयले की सब खान और भूमि से निकले सब तेल और जलमार्जन प्राप्त सुवर्ण (gold washing) शासन की सम्पत्ति समझे जाएंगे।

43. जंगलात, पाषाण खनि और परती भूमि के स्वामित्व के अनुमान.—(1) जब कि किसी अधिकार अभिलेख में जो नवम्बर 1871 के अठारवें दिन से पहले पूर्ण किया जा चुका हो, किसी अनध्यर्थित या आधिपत्य रहित जंगल पाषाण खनि, परित्यक्त या परती भूमि, स्वाभाविक उन या भूमि में अन्य सहगामी स्वत्व के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से यह न बतलाया गया हो कि वे भूस्वामियों के हैं तो वे राज्यशासन के अनुमानित होंगे।

(2) जब उस तिथि से उपरान्त पूर्ण किए गए अधिकार अभिलेख में यह स्पष्ट रूप से न बताया गया हो कि कोई जंगल, पाषाणखनि या ऐसी अन्य कोई भूमियों में स्वत्व शासन के हैं तो यह भूस्वामियों की सम्पत्ति अनुमानित होगी।

(3) उपधारा (1) से उद्भूत अनुमान का खण्डन निम्नलिखित रीति से किया जा सकेगा.—

(क) निर्धारण के समय निर्धारण-अधिकारी द्वारा बनाये गये अभिलेख या रिपोर्ट से या,

(ख) यदि अभिलेख या रिपोर्ट इस बारे में मौन हैं तो उन ग्रामों की, जिन में कोई जंगल, पाषाण खनि या ऐसी भूमि या स्वत्व थे, और उनके अनुरूप जिन ग्रामों में यह नहीं थे ऐसे दोनों प्रकार के ग्रामों के निर्धारण की तुलना द्वारा यह दिखा कर;

कि जंगल, पाषाण खनि, भूमि या स्वत्व, भूराजस्व निर्धारण के समय ध्यान में रखे गये थे ।

(4) जब तक अनुमान का ऐसा खण्डन नहीं किया जाता तब तक, जंगल, पाषाण खनि, भूमि या स्वत्व शासन के निर्णीत होंगे ।

44. शासन के अधिकार प्रयोग से किसी तीसरे पक्ष के अधिकार अतिक्रमित होने पर प्रतिधन—(1) जब कभी अन्तिम पूर्ववर्ती दोनों धाराओं में से किसी में निर्दिष्ट राज्यशासन के किसी अधिकार प्रयोग से किसी व्यक्ति के अधिकार, किसी भूमि के आधिपत्य या भू-तल के विक्षोभ से अतिक्रमित होते हैं तो राज्यशासन उस व्यक्ति को अतिक्रमण के लिये प्रतिधन देगा या दिलाएगा ।

(2) प्रतिधन, जहां तक सम्भव हो सके, Land Acquisition Act, 1894 (लैंड ऐक्वीजिशन ऐक्ट, 1894) के उपबन्धों के अनुसार निश्चित किया जाएगा ।

45. अधिकार अभिलेखों और वार्षिक अभिलेखों में प्रविष्टियों से अनुमान । अधिकार अभिलेख में तत्काल प्रचलित विधि के अनुसार, या वार्षिक अभिलेख में इस अध्याय के उपबन्धों और उस के अधीन नियमों के अनुसार प्रविष्ट तब तक शुद्ध समझी जाएगी जब तक यह अन्यथा प्रमाणित नहीं होती या उस के स्थान पर विधिपूर्वक नई प्रविष्टि नहीं की जाती :

परन्तु इस धारा में किसी बात के होते हुए भी अधिकार अभिलेख या वार्षिक अभिलेख में पहली अप्रैल 1948 के बाद की हुई ऐसी प्रविष्टि, जिसके द्वारा भूमि खुद काश्त बताई गई हो, की शुद्धता का अनुमान नहीं होगा (shall not be presumed to be true) ।

46. अभिलेख में की गई प्रविष्टि द्वारा पीड़ित व्यक्तियों का घोषणात्मक डिक्री के लिए दावा—यदि कोई व्यक्ति अधिकार अभिलेख या वार्षिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि द्वारा मिले हुए किसी अधिकार के सम्बन्ध में अपने आप को पीड़ित समझता है तो वह व्यक्ति Specific Relief Act, 1877 (स्पैसिफिक रिलिफ ऐक्ट, 1877) के अध्याय 6 के अधीन अपने अधिकार की घोषणा करने के लिए वाद दायर कर सकता है ।

अनुपूर्क उपबन्ध

47. अभिलेखों और उन से सम्बन्धित अन्य विषयों के बारे में नियमों को बनाने की शक्तियां.—फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) निम्नलिखित नियम बना सकेगा—

(क) जिस में वह भाषा विनिहित होगी, जिस भाषा में इस अध्याय के अधीन अभिलेख और रजिस्टर बनाए जाएंगे ;

(ख) जिस में उन अभिलेखों और रजिस्टरों के नमूने (form) विनिहित होंगे और वह रीति विनिहित होगी जिसके अनुसार वे तैयार करवाए जाएंगे उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा वे अभिप्रमाणित होंगे ;

(ग) उन अभिलेखों तथा रजिस्टरों को तैयार करने और ठीक करने के हेतु आवश्यक भूमापन के नियम ;

(घ) इस अध्याय के अधीन माल अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल करने के नियम ; और

(ङ) सामान्यत: इस अध्याय में बताए गए या निर्दिष्ट अभिलेखों और रजिस्टरों से सम्बन्धित विषयों में माल अधिकारियों और ग्राम अधिकारियों के पथप्रदर्शन के लिए नियम ।

48. संपदासमूह के लिए अधिकार अभिलेख और वार्षिक अभिलेख—(1) फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) यह निदेश दे सकेगा कि प्रतिवासी सम्पदाओं (neighbouring estates) के लिए प्रत्येक सम्पदा का पृथक 2 अधिकार अभिलेख बनाने की बजाए उनके किसी भी समूह का एक अधिकार-अभिलेख बनाया जाए ।

(2) इस के बाद सम्पदा के अधिकार-अभिलेख और वार्षिक अभिलेख के सम्बन्ध में इस अध्याय के उपबन्ध, जहां तक प्रवृत्त हो सकते हों, सम्पदा-समूह के अधिकार अभिलेख और वार्षिक अभिलेख पर प्रवृत्त होंगे ।

अध्याय 5

निर्धारण (Assessment)

49. भूराजस्व का निर्धारण.—(1) शासन के साथ विशेष संविदा होने पर या तत्काल प्रचलित विधि के उपबन्धों द्वारा या ग्राम्यस्थान (village site) के अन्तर्गत होने से भूराजस्व चुकाने के दायित्व से जो भूमि पूर्ण रूपेण मुक्त हो गई हो, उसको छोड़ कर समस्त भूमि पर भूराजस्व देय है चाहे वह किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होती है या कहीं भी स्थित हो ।

(2) भूराजस्व का निर्धारण नक़दी के रूप में होगा ।

(3) भूराजस्व अभिहस्तांकित, अभित्यक्त, अभिसंधित तथा निष्क्रीत होने के कारण राज्य-शासन को देय न होते हुए भी भूमि पर भूराजस्व निर्धारित किया जा सकेगा ।

(4) भूराजस्व निम्न प्रकार निर्धारित किया जा सकेगा :—

(क) किश्तों में या एक मुश्त देय निश्चित वार्षिक भार के रूप में (fixed annual charge payable in a lump sum) ;

(ख) प्रति एकड़ या क्षेत्र के अन्य एकक (unit) के लिये विनिर्दिष्ट दर के रूप में, जो कि किसी वर्ष के मध्य या फसल के दौरान बोया हुआ (sown), परिपक्व (matured) या कृष्ट (cultivated) अभिलिखित हुआ हो ।

50. निर्धारण का आधार.—भूराजस्व-निर्धारण ऐसी संपदा या संपदा-समूह की शुद्ध सम्पत्ति के औसतन नकद मूल्य के आकलन पर आधारभूत होगा जिस में तत्सम्बन्धित भूमि स्थित है ।

51. निर्धारण की मात्रा.—यदि भू-राजस्व निश्चित वार्षिक भार (fixed annual charge) के रूप में निर्धारित है तो वह राशि, और यदि बिनहत दर के रूप में निर्धारित है तो वह औस्त राशि, जो राज्यशासन द्वारा अनुमोदित लिखित आगणन (an estimate in writing approved by the Government) के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगाई जा सकेगी, किसी भी निर्धारण मंडल के सम्बन्ध में उक्त निर्धारण मंडल की शुद्ध सम्पत्तियों के आगणित नकद मूल्य के चौथे हिस्से से अधिक नहीं बढ़ेगी :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होते समय किसी भी प्रचलित निर्धारण पर इस धारा की किसी भी बात का कोई प्रभाव न होगा।

सामान्य निर्धारण

52. अभिप्रेत पुनर्निर्धारण (**intended re-assessment**) की अधिसूचना और निर्धारण के सिद्धान्तों के विषय में अनुदेश (**instructions**).—(1) भूराजस्व का निर्धारण सामान्य अथवा विशेष हो सकेगा।

(2) किसी भी क्षेत्र के भूराजस्व का सामान्य पुनर्निर्धारण राज्यशासन की पूर्व स्वीकृति और उस स्वीकृति की अधिसूचना के बिना हाथ में नहीं लिया जायेगा (shall not be undertaken)।

(3) राज्यशासन ऐसी स्वीकृति देते हुए इस अधिनियम के उपबन्धों और इस के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे अनुदेश दे सकेगा जैसे कि वह उचित समझे।

53. निर्धारण निश्चय करने की रीति (**mode of determining assessment**).—(1) सामान्य निर्धारण माल अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) ऐसा निर्धारण करने से पहले माल अधिकारी तत्सम्बन्धी अपने प्रस्तावों (proposal) की रिपोर्ट फाइनेन्शिल कमिश्नर (Financial Commissioner)) द्वारा, राज्यशासन को स्वीकृति के लिये भेजेगा।

54. निर्धारण का अभिज्ञापन (**Announcement of Assessment**).—(1) धारा 53 के उपबन्धों के अधीन माल अधिकारी द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त राज्यशासन उप धारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसा आदेश देगा जैसा कि वह उचित समझे, और ऐसा आदेश मिलने पर माल-अधिकारी प्रत्येक सम्बन्धित संपदा के उचित निर्धारण के निश्चयन का आदेश देगा, और उसको इस प्रकार अभिज्ञापित करेगा जिस प्रकार राज्यशासन नियम द्वारा विनिर्हित करे।

(2) निर्धारण अभिज्ञापित करते समय माल-अधिकारी उस दिनांक की भी घोषणा करेगा जिस से कि वह प्रभावी होगा और तदानुसार इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए वह उस दिनांक से प्रभावी हो जायेगा।

(3) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी निर्धारण मंडल, जो ऐसे क्षेत्र का भाग है जिस के सम्बन्ध में धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी की जा चुकी है, में कृष्ट क्षेत्र पर उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन आरोपित भूराजस्व के आपात का औस्त दर अन्तिम पूर्व निर्धारण पर आरोपित भूराजस्व के आपात के दर के चौथे हिस्से से अधिक नहीं बढ़ेगा :

परन्तु किसी संपदा पर आरोपित निर्धारण के आपात का दर, उस सम्पदा पर अन्तिम पूर्व निर्धारण के आपात के दर के दो तिहाई से अधिक नहीं बढ़ेगा।

(4) जिस भूमि पर पहले भू-राजस्व निर्धारित न हुआ हो, या जिस में कि अन्तिम पूर्व निर्धारण पर उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन दिये गये आदेश की तिथि के उपरान्त कूहल या अन्य कृत्रिम सिंचन का निर्माण किया गया हो या ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जिस का अन्तिम पूर्व निर्धारण धारा (63) की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अधीन हुआ हो, या ऐसे क्षेत्र पर जो अधिसूचना द्वारा नगरीय निर्धारण मण्डल घोषित हुआ हो, उपधारा (3) के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं होंगे, तथा उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ भू-राजस्व के आपात की वृद्धि का आगणन करने के लिये ऐसी समस्त भूमि आगणन से अलग कर दी जाएगी :

परन्तु जब तक कोई क्षेत्र प्रचलित विधि के अधीन शासन द्वारा निर्मित म्यूनिसिपल कमेटी (municipal committee) नोटिफाइड एरिया कमेटी (notified area committee) या छोटी नगर समिति (small town committee) की सीमाओं के अन्तर्गत नहीं हो जाता है तब तक कोई भी क्षेत्र नगरीय निर्धारण मण्डल घोषित न होगा।

55. निर्धारण पर पुनर्विचार करने के लिये प्रार्थना पत्र.—(1) भूस्वामी निर्धारण के अभिज्ञापन के दिनांक के उपरान्त तीस दिन के भीतर निर्धारित राशी, निर्धारण के ढंग तथा शर्तों के पुनर्विचार के लिये माल-अधिकारी को याचिका (petition) दे सकेगा।

(2) जहां भूराजस्व अभिहस्तांकित है, उस का अभिहस्तांकिती उस दिनांक के उपरान्त तीस दिन के भीतर माल-अधिकारी को वैसी ही याचिका दे सकेगा।

(3) याचिका पर माल-अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश में इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के कारण भी बतलाये जाएंगे।

56. निर्धारण की पुष्टि तथा अवधि.—(1) कोई निर्धारण, जिसका उपक्रमण (undertaking of which) धारा 52 के उपबन्धों के अधीन स्वीकृत हुआ हो, तब तक अन्तिम नहीं समझा जाएगा जब तक कि उस की पुष्टि राज्यशासन द्वारा नहीं की जाती।

(2) ऐसे निर्धारण की पुष्टि से पूर्व किसी भी समय कमिश्नर या फाईनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी भी संपदा का निर्धारण संपरिवर्तित कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन वृद्धि (enhancement) का आदेश देने से पूर्व, यथास्थिति, कमिश्नर या फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) धारा 23 में

वर्णित रीति के अनुसार प्रकाशित की गई उद्घोषणा द्वारा भू-स्वामियों को माल-अधिकारियों के नाम पर दी गई याचिका में यह कारण दिखाने के लिए कि प्रस्तावित वृद्धि का आदेश क्यों न दिया जाए, उचित सूचना दिलवायेगा और माल-अधिकारी ऐसी आपत्तियों पर, जो किसी भी भूस्वामी द्वारा की गई हों, पूछ ताछ करेगा और उस पर प्राप्त हुई अपनी रिपोर्ट के साथ ऐसी याचिका कमिश्नर या फाईनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) को भेज देगा जो याचिका और रिपोर्ट पर विचार करेगा और यदि याचक की इच्छा हो तो उसकी सुनवाई भी करेगा।

57. निर्धारण की अवधि.—(1) राज्यशासन, धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारण की पुष्टि करते हुए, वह समयावधि जब तक निर्धारण प्रचलित रहेगा, निश्चित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियत अवधि चालीस वर्ष होगी :

परन्तु—

(अ) किसी जिले में निर्धारण अवधि को समान स्तर पर लाने के लिए राज्यशासन किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये थोड़ी अवधि स्वीकृत कर सकेगा;

(आ) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय किसी क्षेत्र में प्रचलित निर्धारण पर इस उपधारा की किसी बात का भी कुछ प्रभाव नहीं होगा अथवा जो क्षेत्र धारा 54 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन नगरीय निर्धारण मण्डल घोषित कर दिया गया है उस क्षेत्र में इस उपधारा की कोई भी बात प्रवृत्त नहीं होगी।

58. जब तक नया निर्धारण प्रभावी नहीं होता है तब तक निर्धारण प्रचलित रहेगा—अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन किसी निर्धारण के चालू रहने के लिए निश्चित अवधि के अवसान में किसी बात के होते हुए भी जब तक नया निर्धारण प्रभावी नहीं होता है तब तक वही निर्धारण प्रचलित रहेगा।

59. किसी सम्पदा के निर्धारण का उत्तरदायित्व अस्वीकार करना तथा उसके परिणाम.—(1) किसी सम्पदा का निर्धारण अभिज्ञापित होने के उपरान्त नब्बे दिन के भीतर भूस्वामी या एक से अधिक भू स्वामियों के होने पर उन में से कोई, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप में निर्धारित हुई आवे से अधिक राशि के लिए उत्तरदायी है, निर्धारण का उत्तरदायित्व स्वीकार न करने की सूचना मालअधिकारी को दे सकेगा।

(2) जब माल-अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करता है तो कलैक्टर संपदा को अपने कब्जे में ले लेगा और जहां तक हो सके इस प्रकार उसकी व्यवस्थापना स्वयं करेगा या ग्राम पंचायत को देगा मानों कि उस के निर्धारण के अभिशून्यन (annulment of assessment) का आदेश उस पर देय बकाया भूराजस्व की वसूली के लिए एक प्रसर (process) के रूप में दिया गया था।

(3) जिस समय उक्त संपदा कलैक्टर के कब्जे में हो उस समय तक भूस्वामी या भूस्वामियों को राज्याशासन से एक भत्ता प्राप्त करने का हक होगा जो फाइनेन्शियल कमिश्नर

(Financial Commissioner) द्वारा नियत किया जाएगा और राज्यशासन द्वारा वसूल की गई शुद्ध आय के पांच प्रति शत से कम तथा दस प्रति शत से अधिक नहीं होगा।

60. सम्पदा में स्थित खातों में उनके निर्धारण का आवंटन.—(1) यदि धारा 54 के अधीन अभिज्ञापित निर्धारण किसी सम्पूर्ण सम्पदा पर कुछ वर्षों की अवधि के लिए सम्पूर्णतः या अंशतः नियत निर्धारण है तो माल-अधिकारी ऐसे दिनांक से पूर्व जिस दिनांक को कि उस की पहली किश्त देय होती है सम्पदा के खातों में पृथक रूप से उस के आवंटन का आदेश देगा और ऐसे आवंटन का एक अभिलेख बनाएगा तथा उसे प्रकाशित करेगा।

(2) जिस समय निर्धारण प्रचलित है उस समय पर्याप्त कारण होने पर कलेक्टर ऐसे अभिलेख की पुनरावृत्ति का आदेश दे सकेगा तथा पुनरावृत्त हुए अभिलेख को प्रकाशित करेगा।

(3) यदि धारा 54 के अधीन अभिज्ञापित निर्धारण प्रत्येक वर्ष या फसल के परिणामों के अनुसार वसूल किए जा सकने वाले दर के रूप में देय हैं तो माल अधिकारी प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक फसल पर, निर्धारण की आवश्यकता के अनुसार, प्रत्येक खाते के विषय में देय राशि का एक अभिलेख बनाएगा तथा उसे प्रकाशित करवाएगा। इस कार्य में भूराजस्व की पहली किश्त देय होने की तिथि के उपरान्त एक महीने से अधिक समय नहीं बीतना चाहिए।

61. निर्धारण के आवंटन को संशोधित करने के लिए प्रार्थनापत्र.—(1) यदि पूर्ववर्ती अन्तिम धारा की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अभिलेख बनाने अथवा उस धारा की उपधारा (2) के अधीन अभिलेख की पुनरावृत्ति करने से किसी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है तो जहां तक उस के द्वारा वह व्यक्ति प्रभावित होता है उस सीमा तक ऐसे अभिलेख पर पुनर्विचार करने के लिए अभिलेख प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के भीतर माल अधिकारी को याचिका दे सकेगा।

(2) माल अधिकारी द्वारा याचिका पर दिये गये आदेश में याचिका को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के कारण बतलाए जायेंगे।

62. धारा 55 और धारा 61 के अधीन आदेशों पर अपीलें.— धारा 55 या पूर्ववर्ती अन्तिम उपधारा के अधीन दिये गए आदेश के विरुद्ध अपील कमिश्नर के पास हो सकेगी और कमिश्नर के अपील आदेश के विरुद्ध फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) के पास अपील हो सकेगी।

विशेष निर्धारण (Special Assessments)

63. विशेष निर्धारण.—(1) निम्नलिखित दशाओं में माल अधिकारियों द्वारा विशेष निर्धारण किए जा सकेंगे, अर्थात:—

(क) अभित्यक्त या अभिहस्तांकित भूराजस्व को फिर से आरम्भ करने पर;

(ख) राज्यशासन द्वारा भूमि बेची जाने, पट्टे पर दिये जाने, या अनुदत्त होने पर;

(ग) किसी भूमि का निर्धारण अभिशून्य कर दिये जाने पर या भूस्वामी द्वारा उस के उत्तरदायित्व को अस्वीकृति होने पर तथा ऐसी अवधि समाप्त हो जाने पर, जिस अवधि के लिए कलक्टर या उस के एजेन्ट द्वारा भूमि का प्रबन्ध किया जाता था अथवा, भूमि खेती के लिए दी जानी थी;

(घ) पानी, रेत या मौसम की दुर्घटना या अन्य कारण के फलस्वरूप जब भूराजस्व का निर्धारण पुनरावृत्त किया जाना अपेक्षित है;

(ङ) जब चरागाह (pasture) या भूमि से प्राप्त अन्य प्राकृतिक उत्पाद (natural products of land) के कारण, अथवा, निर्माणी (mills), मात्स्यिकी (fisheries) या जल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पति (natural products of water) के कारण, अथवा धारा 42 या 43 में वर्णित अन्य अधिकारों के कारण राज्यशासन को देय भूराजस्व इस अध्याय में पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन निर्धारित भूराजस्व के अन्तर्गत न किया गया हो।

(2) इस धारा के अधीन किए गए किसी निर्धारण को फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) पुष्ट कर सकेगा।

(3) ऐसे संपरिवर्तनों के अधीन रहते हुये जो फाइनेन्शियल कमिश्नर धारा 67 के उपबन्धों के अधीन अधिशासी अनुदेशों (executive instructions) के द्वारा विनिहित करे, सामान्य निर्धारण के सम्बन्ध में इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्ध विशेष निर्धारण करने वाले माल अधिकारियों की प्रक्रिया का आनियमन करेंगे।

64. नियम बनाने की शक्ति. धारा 65 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यशासन समय 2 पर नियम बना सकेगा जिन में निम्नलिखित विषय विनिहित होंगे:—

(क) किसी संपदा या संपदा समूह की शुद्ध सम्पत्ति को धन रूप में मूल्यांकन करने का का तरीका;

(ख) भूराजस्व निर्धारित करने का तरीका;

(ग) वे सिद्धान्त जिन के अनुसार उन्नति करने के हेतु निर्धारण से मुक्ति दी जाएगी;

(घ) जिस रीति के अनुसार निर्धारण अभिशासित किया जाएगा;

(च) वह रीति जिस के अनुसार धारा 54 की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ भूराजस्व के आपात के दर की गणना की जायेगी।

65. नियम बनाने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.— धारा 64 के अधीन नियम बनाने से पूर्व राज्यशासन प्रस्तावित नियमों का प्रारूप (draft) उस से प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिये, हिमाचल प्रदेश विधान सभा की बैठक आरम्भ होने से कम से कम तीस दिन पूर्व, अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करवाएगा। ऐसे प्रारूप (draft) के प्रकाशन के ठीक पश्चात् आरम्भ होने वाली विधान सभा की बैठक तक राज्यशासन ऐसे नियमों पर विचार स्थगित रखेगा, ताकि इस प्रारूप (draft) पर विधान सभा में चर्चा करने के हेतु किसी भी सदस्य को प्रस्ताव पुरःस्थापित करने का मौका दिया जा सके।

66. धारा 65 के उपबन्धों के अधीन बनाए गए नियमों को जारी करने से पूर्व जारी किये गए अधिशासी अनुदेश (**executive instructions**) तथा नियमों का अनुसरण किया जाएगा.—धारा 65 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद बनाये गए नियमों के प्रकाशन के दिनांक से पूर्व आरम्भ हुए समस्त निर्धारणों के प्रवर्तनों के प्रयोजनार्थ, धारा 64 के खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) में वर्णित विषयों से सम्बन्धित नियम तथा अधिशासी अनुदेश, जोकि ऐसे प्रकाशन से पूर्व प्रचलित थे, प्रचलित रहेंगे।

67. अनुदेश देने की शक्ति.—राज्यशासन या राज्यशासन का अनुमोदन प्राप्त करके फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner), माल अधिकारियों के पथप्रदर्शन के लिए समय २ पर समस्त ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जिन पर इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अधिशासी अनुदेश दे सकेगा; परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे दिये गए अनुदेश इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उन के अधीन बनाये गए नियमों से संगत होंगे।

अध्याय 6

भूराजस्व संग्रह करना

68. भू-राजस्व चुकाने के लिये प्रतिभूति (**security**).—(1) प्रत्येक सम्पदा के सम्बन्ध में सारी सम्पदा और भूस्वामी या यदि एक से अधिक भूस्वामी हों तो भूस्वामी, संयुक्त और पृथक २ रूप से, सम्पदा पर तत्कालार्थ निर्धारित भूराजस्व के लिए उत्तरदायी होंगे :

परन्तु :—

(क) राज्यशासन अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि किसी सम्पदा का कोई खाता या उसका स्वामी सम्पदा पर तत्कालार्थ निर्धारित भूराजस्व के किसी भाग के लिए ऐसे भाग को छोड़ कर उत्तरदायी नहीं होगा जो भाग खाते के सम्बन्ध में चुकाया जाना चाहिये ;

(ख) जब किसी एक ही सम्पदा में प्रवर (superior) तथा अवर (inferior) भूस्वामी हों तो प्रत्येक दशा में नियम या विशेष आदेश द्वारा फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) यह निश्चित करेगा आया कि प्रवर (superior) या अवर (inferior) भूस्वामी भूराजस्व के लिये उत्तरदायी होंगे या दोनों ही इस के लिये उत्तरदायी होंगे और यदि होंगे तो किस अनुपात में।

(2) उपधारा (1) के परादिक (क) के अधीन अधिसूचना में किसी स्थानीय क्षेत्र की एक सम्पदा, या सम्पदाओं का वर्ग या सामान्यतः सब सम्पदाएं निर्दिष्ट होंगी।

69. भूराजस्व चुकाने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति.—(1) किसी सम्पदा पर तत्कालार्थ निर्धारित भूराजस्व या किसी खाते के सम्बन्ध में चुकाया जाने योग्य भूराजस्व, उनके लगान, लाभों और उत्पत्तियों पर पहला भार (charge) होगा।

(2) जब तक गालन लाभों या उत्पत्तियों पर भारित भूराजस्व, और किसी सम्पदा या खाते के सम्बन्ध में बकाया भूराजस्व चुका न दिया गया हो, तब तक कलैक्टर की पूर्व स्वीकृति बिना किसी भू-सम्पदा या खाते के लगान, लाभ या उत्पत्ति किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में लिये जाने योग्य नहीं होंगे (shall not be liable to be taken in execution of a decree or order)।

70. भूराजस्व की चुकती का आनियमन करने के लिए आदेश.—(1) अधिकार-अभिलेख में किसी बात के होते हुए भी फाइनेन्शियल कमिश्नर किश्तों की संख्या तथा राशि निश्चित कर सकेगा, और यह भी निश्चित कर सकेगा कि किस समय, किस स्थान पर और किस रीति से भूराजस्व चुकाया जाएगा।

(2) जब तक फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) अन्यथा निदेश न दे, भूराजस्व ऐसी किश्तों, समयों, स्थानों पर और रीति से चुकाया जा सकेगा जिन किश्तों, समयों और स्थानों पर तथा रीति से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर चुकाया जा सकता हो।

71. भूराजस्व के परिहार (remission), स्थगन (suspension) तथा संग्रहण का आनियमन करने के लिए नियम.—(1) फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) भूराजस्व के परिहार, स्थगन तथा संग्रहण का आनियमन करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगा तथा उन नियमों द्वारा ऐसी शर्तों और परिस्थितियों का निश्चय कर सकेगा जिनके अनुसार अभिहस्तांकिती द्वारा अभिहस्तांकित भूराजस्व संग्रह किया जा सके।

(2) यदि अभिहस्तांकिती को देय भूराजस्व का संग्रह किसी माल-अधिकारी द्वारा किया जाता है तो संग्रहीत राशि में से संग्रहण व्ययों के कारण ऐसी प्रतिशतता (percentage) घटा दी जाएगी जो फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) नियमों द्वारा इस सम्बन्ध में विनिहित करे।

(3) अभिहस्तांकित भूराजस्व के बकाया के लिए कोई वाद ऐसे समय तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक वाद पत्र उपस्थित करते समय उसके साथ कलेक्टर के हाथ का ऐसा प्रलेख नत्थी न किया गया हो जिस में वाद दायर करना विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो।

72. व्यय, बकाया के भाग-रूप में वसूल होंगे.—इस अध्याय के अधीन जारी किए गए किसी प्रसर (process) के व्यय ऐसे भूराजस्व के बकाया भाग के रूप में वसूल किये जा सकेंगे जिस के विषय में प्रसर (process) जारी किया गया था।

73. प्रमाणित हिसाब (a certified account) बकाया के लिए साक्ष्य (evidence) होगा.—माल-अधिकारी द्वारा प्रमाणित हिसाब का विवरण भूराजस्व के बकाया रहने का निर्णायक प्रमाण (conclusive proof) होगा और बकाया राशि तथा बाकीदार (defaulter) के लिए भी निर्णायक प्रमाण होगा।

74 बकाया वसूल करने के प्रसर (processes).—इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भूराजस्व का बकाया निम्नलिखित प्रसरों (processes) में से एक या अधिक के

अनुसार वसूल किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) बाकीदार पर मांगपत्र (writ of demand) तामील करके ;

(ख) उसकी चल सम्पत्ति तथा ऐसी फसल जो काटी नहीं गई है या इकट्ठी नहीं की गई है, के अभिहरण और बिक्री द्वारा ;

(ग) उस खाते के हस्तांतरण द्वारा जिसके सम्बन्ध में बकाया देय ;

(घ) उस सम्पदा या खाते की कुर्की द्वारा जिस के सम्बन्ध में बकाया देय है ;

(ङ) उस सम्पदा या खाते के निर्धारण के अभिशून्यन द्वारा ;

(च) उस सम्पदा या खाते की बिक्री द्वरा ;

(छ) बाकीदार को अन्य अचल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाहियों द्वारा ;

75. मांग पत्र.—जिस दिन भू-राजस्व का बकाया देय होता है उसके दूसरे दिन या उसके बाद माल अधिकारी द्वारा मांगपत्र जारी किया जा सकेगा।

76. चल सम्पत्ति तथा फसलों की बिक्री और अभिहरण (distress).—(1) भूराजस्व का बकाया देय होने के पश्चात् किसी भी समय माल अधिकारी के आदेश द्वारा बाकीदार की चल सम्पत्ति तथा ऐसी फसलें जो काटी न गई हों या इकट्ठी न की गई हों, की बिक्री की जा सकेगी और उनको अभिहरित किया जा सकेगा।

(2) अभिहरण (distress) तथा बिक्री जहां तक हो सके पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 जैसा कि हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त है के अधीन निर्मित माल न्यायालय की डिक्री के अधीन किसी चल सम्पत्ति की बिक्री और कुर्की के लिये तत्काल प्रचलित विधि के अनुसार की जाएगी :

परन्तु उन वस्तुओं के अतिरिक्त जो उस विधि के द्वारा बिक्री से मुक्त कर दी गई हों, बाकीदार की भूमि की उत्पति का जितना भाग कलैक्टर बीजों और बाकीदार और उसके कुटम्ब के लिये आगामी उत्तरवर्ती फसल काटने तक आवश्यक समझता है, तथा उस विधि के अनुसार ऐसी बिक्री से मुक्त पशु, इस धारा के अधीन, बिक्री से मुक्त होंगे।

77. खाते का हस्तांतरण.—(1) किसी खाते का भूराजस्व बकाया में पड़ जाने के पश्चात् किसी भी समय, कलैक्टर किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उस सम्पदा का भूस्वामी हो जिसमें कि ऐसा खाता स्थित है और जो अपने खाते के सम्बन्ध में बाकीदार नहीं है, इस शर्त के साथ कि वह खाते पर कब्जा लेने से पहले बकाया चुका देता है और ऐसी अन्य शर्तों के साथ जो कलैक्टर विनिहित करना उचित समझे, खाता हस्तांतरित कर सकेगा।

(2) जैसा कलैक्टर उचित समझे उसके अनुसार, हस्तांतरण, ऐसे कृषिवर्ष के अन्त तक रहेगा जिसके भीतर बाकीदार हस्तांतरक द्वारा सम्पदा पर कब्जा प्राप्त करने से पुर्व चुकाए गये बकाया की राशी हस्तांतरक को चुका देता है या हस्तांतरण के दिनांक से आगामी उत्तरवर्ती कृषि वर्ष के प्रारम्भ होने से ऐसी अवधि तक रहेगा जो पन्द्रह वर्ष से अधिक न हो।

(3) कलैक्टर इस धारा के अधीन किए गये हस्तांतरण की रिपोर्ट फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) को देगा, और फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial

Commissioner) हस्तांरण को रद्द कर सकेगा या उसकी शर्तों को आपरिवर्तित कर सकेगा या उस पर ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(4) इस धारा के आधीन हस्तांतरण, जिस सम्पदा पर प्रवृत्त है उस सम्पदा के भूस्वामियों का संयुक्त या पृथक उत्तरदायित्व इससे प्रभावित न होगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन उद्भूत समस्त अधिकारों और उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में हस्तांतरण की शर्तों के अधीन रहते हुऐ, उस व्यक्ति की, जिसका खाता हस्तांतरित हुआ है, वही स्थिति होगी जो खाता हस्तांतरित न होने की दशा में बाकीदार की होती।

(6) यदि हस्तांतरण सावधि हो तो अवधि समाप्त हो जाने पर खाता कलैक्टर द्वारा बाकीदार को वापिस दिलवा दिया जायेगा और इस पर राज्याशासन या हस्तांतरक का इस सम्बन्ध में देय भूराजस्व के बकाया या स्थानीय करों और उपकरों के विषय में बाकीदार के प्रति कोई दावा न होगा।

78. खाते या सम्पदा की कुर्की.—(1) भूराजस्व के बकाया में पड़ जाने के पश्चात् कलैक्टर किसी भी समय ऐसी सम्पदा या खाते को कुर्क करा सकेगा जिस के सम्बन्ध में बकाया देय है और उसको अपने प्रबन्ध में ले सकेगा या ग्राम पंचायत द्वारा उसका प्रबन्ध करा सकेगा।

(2) यदि बाकीदार और उसके काश्तकार परस्पर वचन बन्ध (engagement) हुऐ हों तो ऐसे समस्त वचन-बन्धों से कलैक्टर या ग्राम पंचायात बाध्य होगी और उसको इस बात का हक्क होगा कि वह भूमि का प्रबन्ध करे और जो लगान या लाभ इससे प्राप्य हों, बाकीदार के अपवर्जित रहते हुए उस समय तक प्राप्त करता रहे जब तक कि बकाया चुका न दिया जाए या जब तक कलैक्टर भूमि बाकीदार को वापस न कर दे।

(3) कुर्की और प्रबन्ध के व्यय तथा भूराजस्व और स्थानीय करों और उपकरों की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि चुका कर कुर्क की गई भूमि के अवशेष लाभ बकाया चुकाने के लिए प्रयुक्त होंगे।

(4) कुर्की के दिनांक से आगामी उत्तरवर्ती कृषि-वर्ष के प्रारम्भ से भूमि उसी बकाया के लिये पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिये कुर्क नहीं होगी, किन्तु यदि बकाया पहले समाप्त हो जाता है तो भूमि मुक्त कर दी जायगी और यदि कोई अतिरिक्त प्राप्तियां हों तो वे भू-स्वामी को सौंप दी जांगी।

79. सम्पदा या खाते के निर्धारण का अभिशून्यन.—(1) जब भूराजस्व का बकाया एक महीने से अधिक अवधि तक देय रहता है और पहले दिए गये प्रसर उसकी वसूली के लिए पर्याप्त नहीं समझे जाते, तो फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) उन समस्त या किन्हीं प्रसरों की बजाए या साथ ही साथ ऐसी सम्पदा या खाते, जिस के सम्बन्ध में बकाया देय है, के वर्तमान निर्धारण को अभिशून्य करने का आदेश दे सकेगा।

(2) यदि भूमि का भूराजस्व निम्नलिखित दशाओं में बकाया पड़ जाता है तो उसकी वसूली पर इस धारा के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं होंगे :—

(क) यदि भूमि अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन कुर्क हो;

(ख) यदि भूमि पालक समिति (Court of wards) के अधीन हो।

(3) जब किसी भूमि का निर्धारण अभिशून्य हो जाता है तो फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) की पूर्व स्वीकृति से ऐसी अवधि तक और ऐसी शर्तों के साथ जैसी कि फाइनेन्शियल कमश्निर (Financial Commissioner) स्वीकृत करे, कलक्टर भूमि का प्रबन्ध स्वयं कर सकेगा या अपने एजेंन्ट द्वारा करवा सकेगा या ऐसे व्यक्ति को काश्त के लिये दे सकेगा जो काश्त करने के लिये राजी हो :

परन्तु वह अवधि, जिस के लिए इस प्रकार भूमि का प्रबन्ध किया जाता है या काश्त की जाती है, अभिशून्यन के दिनांक के उपरान्त आगामी उत्तरवर्ती कृषि वर्ष के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) उस अवधि का अवसान होने के कुछ समय पूर्व कलैक्टर ऐसे निर्धारण का निश्चय करेगा जो कि ज़िले या तहसील के वर्तमान निर्धारण की शेष अवधि के लिये सम्पदा या खाते के विषय में चुकाया जाना चाहिए और जब फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissiner) द्वारा वह निर्धारण स्वीकृत हो जाता है तो वह इसे भूस्वामी को अभिज्ञापित कर देगा।

(5) जिस दिनांक को निर्धारण भूस्वामी को अभिज्ञपित हुआ था उस के पश्चात् तीस दिन के मध्य भूस्वामी निर्धारण का उत्तरदायित्व अस्वीकृत करने की सूचना कलैक्टर को दे सकेगा।

(6) यदि इस प्रकार सूचना दी जाती है, तो फाइनेंशियल कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर के जिले या तहसील के वर्तमान निर्धारण की बाकी अवधि के लिए या उस अवधि के अन्तर्गत फाइनेन्शियल कमिश्नर (Financial Commissioner) द्वारा नियत काल के लिये कलैक्टर सम्पदा या खाते को अपने प्रबन्ध में ले लेगा या काशत पर दे देगा।

(7) जब खाते का निर्धारण अभिशून्य हो जाता है तो अभिशून्यन के पश्चात् उस खाते पर देये भूराजस्व के सम्बन्ध में सम्पदा पर अन्य भूस्वामियों का संयुक्त उत्तरदायित्व तब तक आस्थगित (shall be in abeyance) रहेगा जब तक नया निर्धारण नहीं हो जाता है।

(8) फाइनेन्शियल कमिश्नर किसी ऐसी सम्पदा या खाते, जिसका निर्धारण अभिशून्य कर दिया गया हो, में स्थित भूमि के सम्बन्ध में यह निदेश दे सकेगा कि यदि बाकीदार ने या किसी अन्य व्यक्ति ने जिसके द्वारा बाकीदार अपना हक मांगता है, कोई सविदा किया हुआ हो तो वह कलैक्टर, कलैक्टर के एजैन्ट या काश्तकार पर उस अवधि तक बाध्य न होगा जिस अवधि तक सम्पदा या खाता कलैक्टर या कलैक्टर के एजैन्ट के प्रबन्ध में रहता है या काश्त किया जाता है।

80. कुर्की या निर्धारण के अभिशून्यन की उद्घोषणा तथा उद्घोषणा के परिणाम.—(1) जब कोई भूमि धारा 78 के अधीन कुर्क कर दी जाती है या अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन किसी भूमि का निर्धारण अभिशून्य कर दिया गया है तो कलैक्टर उसकी उद्घोषणा करेगा।

(2) उद्घोषणा किए जाने से पूर्व चुकती के लिए साधारण समय से पहले ही किसी व्यक्ति द्वारा लगान या अन्य सम्पत्ति के लिए बाकीदार को चुकायी गई राशी, कलैक्टर की विशेष

स्वीकृति बिना, उस व्यक्ति के नाम से जमा नहीं की जाएगी और न ही ऐसा व्यक्ति कलैक्टर, कलैक्टर के एजैन्ट या काश्तकार को वह राशि चुकाने के उत्तरदायित्व से मुक्त होगा।

(3) उद्घोषणा किये जाने के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा लगान अथवा सम्पदा की अन्य सम्पत्ति या खाते के सम्बन्ध में कलक्टर, कलैक्टर के एजैन्ट या काश्तकार से भिन्न व्यक्ति को चुकाई गई राशि चुकाने वाले व्यक्ति के नाम से जमा नहीं होगी या उसे इसके द्वारा कलैक्टर या कलैक्टर के एजैन्ट या काश्तकार को ऐसी राशि चुकाने के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जायेगा।

81. सम्पदा या खाते की बिक्री.—जब भूराजस्व का बकाया देय हो जाता है और पूर्ववर्ती प्रसर उसकी वसूली के लिए पर्याप्त नहीं समझे जाते, तो कलक्टर फाइनेन्शियल कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर के, उन समस्त अथवा उनमें से किसी प्रसर के साथ ही साथ या बदले में, और यहां से आगे दिए गए उपबन्धों क अधीन रहते हुए, ऐसी सम्पदा या ऐसे क्षेत्र, जिसके विषय में बकाया देय है, को बेच सकेगा;

परन्तु निम्नलिखित दशाओं में से किसी दशा के होने पर बकाया की वसूली क लिए भूमि बेची नहीं जाएगी:—

(क) यदि बकाया ऐसें समय देय होता है जब भूमि पालक-समिति के निरीक्षण-अधीन हो या भूमि की ऐसी परिस्थिति थी कि पालक-समिति द्वारा इस के ऊपर प्रचलित विधि के अनुसार अधिकार क्षेत्र प्रयोग में लाए जा सकने की सम्भावना थी;

(ख) यदि बकाया उस समय देय होता है जिस समय भूमि इस अधिनियम की धारा 78 के अधीन कुर्की में थी; या

(ग) यदि बकाया उस समय देय होता है जिस समय धारा 79 के अधीन, निर्धारण के अभिशून्यन के पश्चात या उसके लिए उत्तरदायित्व लेने से अस्वीकृत होने के बाद भूमि कलक्टर के प्रबन्ध में थी या अन्य व्यक्ति की काश्त में थी।

82. बिक्री का भाररोधों पर प्रभाव—(1) अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन बेची गई भूमि समस्त भार रोधों से मुक्त बेची जाएगी तथा खरीदने वाले के इलावा अन्य व्यक्ति द्वारा उस भूमि के सम्बन्ध में पूर्वकृत समस्त संविदा और अनुदान, बिक्री पर खरीदार के विरुद्ध शून्य (void) के होंगे।

(2) निम्नलिखित विषयों पर उपधारा (1) का कोई भी प्रभाव न होगा:—

(क) काश्तकार का आभोग-अधिकार (occupancy right of a tenant) जब तक कि वह अधिकार बाकीदार ने स्वयं ही न पैदा किया हो; या

(ख) रहने का मकान या कारखाना या खान, उद्यान, तालाब, नहर, पूजास्थान, या शमशान को बनाने के लिए उचित लगान पर दिया गया पट्टा चाहे वह अस्थायी हो या शाश्वत जब तक कि भूमि पट्टे (lease) में विशिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है; या

(ग) ऐसा भाररोध, अनुदान, संविदा या आभोग अधिकार जिसे फाइनेन्शियल कमिनश्र के आदेश द्वारा विशेष रूप से आरक्षित रखा गया हो और यहां से आगे दी गई व्यवस्था के अनुसार उद्घोषित किया गया हो।

83. बाकीदार की अन्य अचल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां.—(1) यदि यहां से पूर्व दिए गए किन्हीं भी प्रसरों से बकाया वसूल न हो सके, और यदि फाइनेन्शियल कमिश्नर इन प्रसरों में से किसी प्रसर को प्रवृत्त करना अनावश्यक समझे और यदि बाकीदार के पास कोई अन्य सम्पदा या खाता या अन्य अचल सम्पत्ति हो तो उसके विरुद्ध कलैक्टर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा, मानों कि यह वही भूमि थी जिसके सम्बन्ध में बकाया देय है:

परन्तु बाकीदार के अपने स्वत्वों को छोड़ कर अन्य स्वत्वों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी, और उस के द्वारा, सद्भाव से किए गए भाररोध, दिए गए अनुदान और किए गए संविदा केवल इसी कारण अमान्य (invalid) न होंगे क्योंकि उस के स्वत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(2) जिस भूमि के सम्बन्ध में भूराजस्व देय है उससे अन्य सम्पत्ति के विरुद्ध कलक्टर जब इस धारा के अधीन कार्यवाही करने का निश्चय करता है तो वह एक उद्घोषणा जारी करेगा जिसके द्वारा सम्पत्ति हस्तांतारेत करना या सम्पत्ति पर भार डालना (charging of the property) प्रतिषिद्ध कर दिया जाएगा।

(3) कलक्टर किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा उद्घोषणा वापस ले सकेगा और यह उस समय वापस ली गई समझी जाएगी जब या तो बकाया चुका दिया गया हो या बकाया की वसूली के लिए बाकीदार की सम्पत्ति के स्वत्व बेच दिए गए हों।

(4) उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात् तथा वापस किए जाने से पूर्व, सम्पदा या सम्पदा में बाकीदार के स्वत्वों की बिक्री, दान या बन्धक द्वारा, या अन्यथा किया गया वैयक्तिक परकीकरण (private alienation) शून्य होगा।

(5) इस धारा के अधीन सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने में जहां तक उस प्रकार की सम्पत्ति में हो सके, कलक्टर ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो ऐसी भूमि के विरुद्ध जिस के सम्बन्ध में भू-राजस्व देय है, प्रसर प्रयोग में लाने के लिए विनिहित है।

84. उपचार जो बकाया का उत्तरदायित्व स्वीकार करने वाला व्यक्ति उपयोग में ला सकेगा.—(1) धारा 73 में किसी बात के होते हुए भी जब इस अधिनियम के अधीन, बकाया की वसूली के हेतु कार्यवाहियां की जाती हैं तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियां की जाती हैं वह व्यक्ति यदि समस्त बकाया या बकाया के भाग के उत्तरदायित्व से नहीं करता है और बकाया या उसका भाग चुकाते समय एक लिखे प्रोटेस्ट के साथ, जिस में उसके या उसके एजैन्ट के हस्ताक्षर होंगे, चुकती कर देता है तो वह इस प्रकार चुकाई गई राशि की वसूली के लिए दीवानी न्यायालय में वाद चला सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन वाद ऐसे न्यायालय ही में चलाया जा सकेगा जिसका अधिकार क्षेत्र ऐसे स्थान पर हो जहां पर उस ज़िले के कलक्टर का कार्यालय स्थित है, जिस की बाबत कि भू-राजस्व या उस का भाग बकाया में पड़ गया है।

बिक्री की प्रक्रिया

85. बिक्री की उद्घोषणा.—(1) किसी अचल सम्पत्ति की बिक्री के सम्बन्ध में, फाइनेन्शियल कमिश्नर की स्वीकृति प्राप्त होने पर, कलेक्टर अभिप्रेत बिक्री की एक उद्घोषणा जारी करेगा, जिस में निम्नलिखित विषय निर्दिष्ट होंगे :—

(क) बिक्री का स्थान, समय तथा दिनांक;

(ख) बेची जाने वाली सम्पत्ति, और यदि यह एक सम्पदा या खाता हो तो उस पर निर्धारित भूराजस्व या उसके सम्बन्ध में चुकाया जाने योग्य भूराजस्व;

(ग) यदि सम्पति की बिक्री, उस सम्बन्ध में देय बकाया की वसूली के सिलसिले में हो तो धारा 82 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन फानेन्शियल कमिश्नर के आदेश द्वारा विशेष रूप से आरक्षित भाररोध, अनुदान, संविदा तथा आभोग-अधिकार, यदि कोई हों;

(घ) यदि सम्पत्ति उस के सम्बन्ध में देय बकाया की वसूली से अन्यथा बेची जानी हो, तो जिस भाररोध, अनुदान या संविदा के लिए सम्पत्ति उत्तरदायी ज्ञात है; और

(ङ) वह राशि जिस की वसूली के लिए बिक्री का आदेश दिया गया है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट बिक्री का स्थान या तो कलैक्टर का कार्यालय होना चाहिए या ऐसा स्थान होना चाहिए जो कलैक्टर द्वारा इस हेतु नियुक्त किया गया हो और बेची जाने वाली सम्पदा में या सम्पदा के समीप स्थित हो।

86. उद्घोषणा के विषयों के बारे में माल-अधिकारियों को प्रतिधन. मालअधिकारी, अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन किसी उद्घोषणा में सद्भावना पूर्वक हुई किसी गलती, अशुद्ध विवरण या लोपन के लिए तब तक जवाबदेह नहीं होगा जब तक कि ऐसा बदनीयती से नहीं हुआ हो या उसका उपार्पण न कर लिया गया हो (has been committed)।

87. उद्घोषणा का प्रकाशन.—(1) उद्घोषणा की एक प्रतिलिपि की तामील बाकीदार पर की जाएगी और वह उस तहसील के तहसीलदार के कार्यालय के ध्यानाकर्षी स्थान में, जिस में कि बिक्री होने वाली सम्पत्ति स्थिति है, चिपका दी जाएगी।

(2) उद्घोषणा की एक प्रतिलिपि बाकीदार पर तामील कराने और तहसीलदार के कार्यालय में चिपकाने के उपरान्त, उसकी एक प्रतिलिपि कलैक्टर के कार्यालय में चिपका दी जाएगी।

(3) धारा 23 में विनिर्दिष्ट रीति तथा अन्य ऐसी रीति में जैसी कि कलैक्टर उचित समझे उद्घोषणा का फिर से प्रकाशन किया जाएगा।

88. बिक्री का समय और बिक्री करना.—(1) बिक्री रविवार या अन्य छुट्टी के दिन नहीं होगी या तब तक नहीं होगी जब तक उद्घोषणा की प्रतिलिपि कलैक्टर के कार्यालय में चिपकाने के दिनांक के पश्चात् तीस दिन समाप्त न हो जाएं ।

(2) बिक्री नीलामी द्वारा होगी और कलैक्टर द्वारा स्वय या इस हेतु कलैक्टर द्वारा विशेषरूप से नियुक्त माल–अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

89. बिक्री को विलम्बित करने की शक्ति.—कलैक्टर समय २ पर बिक्री को कालांतरित (postpone) कर सकेगा।

90. बिक्री को रोकना.—यदि नीलामी की बोली समाप्त होने से पूर्व बाकीदार किसी भी समय बिक्री करने वाले अधिकारी को ऐसा बकाया चुका देता है, जिसके सम्बन्ध में संपदा की बिक्री घोषित हुई हो, और ऐसे व्यय भी चुका देता है जो उसकी वसूली के लिऐ किए गए हों, और यह प्रमाणित कर देता है, जिस से कि उस अधिकारी का समाधान हो जाए कि उसने वह राशि धारा 70 के अधीन विनिहित स्थान या रीति से चुका दी है या राजकोष में जमा करा दी है, तो बिक्री रोक दी जाएगी।

91. सब से अधिक बोली देने वाले व्यक्ति द्वारा निक्षेप (deposit) की चुकती.—जब नीलामी पर सब से अधिक बोली निश्चित हो जाती है तो वह व्यक्ति जिसने ऐसी बोली दी है बिक्री करने वाले अधिकारी की मांग पर अपनी बोली की राशि का पचीस प्रति शत निक्षेप, उस अधिकारी को चुकाएगा और चुकती पर वह इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पूर्वक्रयाधिकारों को (right of pre emption) प्रयोग करने के सम्बन्ध में खरीदार घोषित कर दिया जायगा।

92. निक्षेप चुकाने में असफल रहने के परिणाम.—यदि वह व्यक्ति जिस ने कि सब से अधिक बोली दी है, अन्तिम पूर्ववर्ती धारा द्वारा अपेक्षित निक्षेप चुकाने में असफल रहता है तो सम्पत्ति को फिर से बिक्री की जायगी और पहली बिक्री से सम्बन्धित समस्त व्यय और मूल्य (price) में कमी, यदि कोई हो, जोकि फिर से बिक्री करने पर हो जाए, कलैक्टर द्वारा उस व्यक्ति से इस प्रकार वसूल किए जा सकेंगे मानों वे भू-राजस्व का बकाया थे।

93. पूरी चुकती के लिए समय.—जिस दिनांक को खरीदार घोषित हुआ हो उससे पन्द्रहवां दिन समाप्त होने से पूर्व, खरीदार द्वारा क्रय-धन की पूरी राशि चुका दी जायगी।

94. चुकती न कराने की अवस्था में प्रक्रिया.—अन्तिम पूर्ववर्ती धारा में वर्णित अवधि के अन्दर क्रयधन की पूरी राशि चुकाये न जाने पर धारा 91 में निर्दिष्ट निक्षेप, बिक्री के व्यय पूरे करने के बाद राज्यशासन द्वारा जब्त हो जायेगा और यदि कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति द्वारा कलैक्टर निदेश दे, तो बकाया में घटाव करने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा और सम्पदा फिर से बेची जायगी और सम्पत्ति पर या ऐसी राशि के किसी भाग पर, जिस के लिये यह फिर से बेची जा सके, चुकती न करने वाले खरीदार का कोई दावा न होगा।

95. कमिश्नर को बिक्री की रिपोर्ट भेजना.—इस अध्याय के अधीन अचल सम्पत्ति की प्रत्येक बिक्री की रिपोर्ट, कलैक्टर द्वारा कमिश्नर को भेजी जायगी।

96. बिक्री को रद्द करने के लिये प्रर्थना पत्र.—(1) बिक्री के दिनांक से तीस दिन के अन्दर, किसी भी समय, बिक्री करने में या इसके प्रकाशन में हुई किसी महत्व रखने वाली अनियमिता (irregularity) या गलती के आधार पर बिक्री को रद्द करने के लिये फाइनेंशियल कमिश्नर को प्रर्थनापत्र दिया जा सकेगा।

(2) किन्तु बिक्री को उस आधार पर तब तक रद्द नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रार्थी यह प्रमाणित नहीं कर देता है जिससे कि कमिश्नर का यह समाधान हो जाये, कि उस को अनियमिता या गलती के कारण तत्वतः कोई क्षति पहुंची है।

97. बिक्री को पुष्ट या रद्द करने का आदेश.—(1) बिक्री के दिनांक से तीसवें दिन की समाप्ति पर, यदि न्तिम पूर्ववर्ती धारा में वर्णित प्रा नापत्र नहीं दिया गया है, या यदि ऐसा प्राथनापत्र दिया गया है और अस्वीकृत कर दिया गया है, तो कमिश्नर बिक्री को पुष्ट करने का आदेश देगा, और, यदि ऐसा प्रार्थनापत्र दिया गया हो और अनुमत हुआ हो, तो कमिश्नर बिक्री को रद्द करने का आदेश देगा।

(2) इस धारा के अधीन दिया गया आदेश अन्तिम होगा।

98. बिक्री के रद्द होने पर क्रयधन वापस लौटाना.— जब कभी किसी सम्पति की बिक्री रद्द कर दी जाती है, तो खरीदार बिक्री के रद्द करने के दिनांक से तीन महीने के अन्दर अपने क्रयधन को वापस लेने का अधिकारी होगा, और उस दिनांक के उपरान्त खरीदार को निक्षिप्त धन (money desposited) पर व्याज जिसका दर तीन प्रति शत प्रतिवर्ष से अधिक न हो और जैसा कि फाइनेन्शियल कमिश्नर उचित समझे, लेने का अधिकार होगा।

99. फिर से बिक्री करने या कालान्तरण (postponement) के उपारान्त उदघोषणा.—धारा 89 के अधीन कालान्तरण करने के पश्चात् की गई बिक्री तथा धारा 94 के अधीन खरीदार द्वारा राशि न चुकाये जाने के फलस्वरूप या धारा 97 के अधीन बिक्री रद्द किये जाने पर फिर से बिक्री, यहां से पहले बिक्री के लिये विनिहित हुई रीति के अनुसार नई उद्घोषणा जारी करने के पश्चात् की जायगी।

100. बिक्री की पुष्टि पर खरीदार को कब्ज़ा और प्रमाणपत्र प्रदान करना. (1) पूर्वोक्त रीति से बिक्री की पुष्टि हो जाने पर, कलैक्टर खरीदार घोषित हुए व्यक्ति को, बेची हुई सम्पत्ति का कब्जा दिलाएगा, और उसके द्वारा सम्पति खरीदी जाने का प्रमाण पत्र उस को प्रदान करेगा।

(2) प्रमाणपत्र में यह दिखाया जायेगा आया कि सम्पति की बिक्री उस सम्बन्ध में बकाया की वसूली के लिये की गई है या नहीं, और यदि यह बिक्री इस हेतु की गई हो तो बिक्री की उद्घोषणा में विशिष्ट वे समस्त भारबंध, अनुदान, संविदा तथा आभोग-अधिकार, यदि कोई हों, जो कि धारा 82 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन फाइनेन्शियल कमिश्नर के आदेश द्वारा विशेष रूप से आरक्षित किये गये हों, प्रमाणपत्र में दिखाये जाएंगे।

(3) प्रमाणपत्र सम्पति का मान्य हस्तांतरण पत्र समझा जायेगा, किन्तु हस्तांतरण-पत्र (conveyance) के रूप में उसकी रजिस्टरी कराना आवश्यक नहीं है।

(4) किसी न्यायालय में, प्रमाणित खरीदार के विरुद्ध, इस आधार पर लाया गया वाद कि खरीद प्रमाणित खरीदार से भिन्न व्यक्ति की ओर से की गई थी, व्यय के सहित खारिज कर दिया जायगा।

(5) किसी अचल सम्पत्ति का प्रमाणित खरीदार, बिक्री की पुष्टि के दिनांक के बाद, सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त लगानों तथा लाभों का हकदार होगा, और उस दिनांक के बाद उस सम्पत्ति से सम्बन्धित भूराजस्व की समस्त किश्तों तथा स्थानीय करों और उपकरों को चुकाने का उत्तरदायी होगा।

101. बिक्री का आय. (1) जब इस अध्याय के अधीन अचल सम्पति की बिक्री पुष्ट कर दी जाती है, तो बिक्री से प्राप्त हुई आय सब से पहले, बिक्री की पुष्टि के दिनांक से बाकीदार द्वारा राज्य को देय चुकाने के लिये प्रयोग में लाई जायगी, चाहे बकाया भूराजस्व का हो या भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकने वाली राशी हो, और यदि कोई अतिरेक आय हो तो वह ऐसे व्यक्ति को चुका दी जायेगी जिस की सम्पति बेच दी गई है या यदि बेची गई सम्पत्ति एक से अधिक व्यक्तियों की हो तो उसके स्वामियों को सामूहिक रूप से या उनके अभिलिखित स्वत्वों की राशि के अनुसार, जैसा कि कलैक्टर उचित समझे, अतिरेक आय चुका दी जायेगी।

(2) जिस व्यक्ति की सम्पति बेची गई है, उसके ऋणदाता को, सिवाए न्यायालय के आदेश के अधीन, अतिरेक नहीं चुकाया जायेगा।

(3) यदि बिक्री की आय उपधारा (1) में निर्दिष्ट बकाया से कम होती है तो ऐसा अन्तर, जोकि बाकीदार से बाकी लेना रह जाता है, इस अध्याय के अधीन, अन्य कार्यवाहियों द्वारा या विधि द्वारा अधिकृत किन्ही साधनों से वसूल किया जा सकेगा।

अध्याय 7

माल अधिकारियों द्वारा अन्य मांगों की वसूली

102. वाद की बजाये माल अधिकारी द्वारा विशेष बकाया की वसूली.—जब धारा 29 के अधीन नियमों द्वारा किसी भूराजस्व या भूराजस्व के किसी बकाया को जो भूराजस्व के रूप में वसूल किया जा सकता हो, इकट्ठा करने के लिये अपेक्षित ग्राम-अधिकारी, माल-अधिकारी का यह समाधान कर देता है कि लगान या अन्य कोई राशि देय हो गई है, और उस की चुकाई नहीं गई है, तो माल अधिकारी, फाईनेन्शियल कमिश्नर द्वारा इस बारे में बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये, उस राशि को इस प्रकार वसूल कर सकेगा मानों वह भूराजस्व का बकाया थी।

103. अन्य राशियां जो कि भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती हैं.—भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकने वाली राशियों, या अन्य राशियों, जो इस अधिनियम या तत्कालार्थ प्रचलित किसी अन्य अधिनियम के अधीन वसूल की जा सकती हों, के अतिरिक्त निम्नलिखित राशियां भी इस प्रकार वसूल की जा सकेंगी, अर्थात :—

(क) इस अधिनियम के अधीन चुकाये जा सकने वाले ग्राम्य-अधिकारी उपकर के सहित, फीसें, जुर्माने, व्यय तथा अन्य प्रभार ;

(ख) उन अवस्थाओं में जिन में देय राजस्व किसी सम्पदा के निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया गया है, चरागाह या भूमि की अन्य प्राकृतिक उत्पत्तियां या चक्की, मात्स्यिकी तथा जल की प्राकृतिक उत्पत्तियों, या धारा 42 तथा 43 में वर्णित अन्य अधिकारों के सम्बन्ध में राज्यशासन को देय भूराजस्व ;

(ग) Himachal Pradesh Panchayat Raj Act (हिमाचल प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट) के अधीन बनाई गई पंचायतों सहित स्थानीय संस्थाओं को, निम्नलिखित कामों को उपयोग में लाने या उन का लाभ उठाने के लिये, चुकाई जा सकने वाली फीसें :—

(अ) बान्धों को बनाना और उनकी मरम्मत करना तथा कृषि हेतु जल प्रदाय, जल संग्रह तथा जल नियंत्रण ;

(आ) भूमि का परिरक्षण, उस को कृषि योग्य बनाना, जलोत्सारण तथा दलदलों को कृषि योग्य बनाना,

(घ) स्थानीय जलकरों (water rates) के रूप में राज्यशासन के अधिकार के अधीन या द्वारा, बान्धों और अन्य सिंचाई के कामों को बनाए रखने या उन का प्रबन्ध करने के लिए आरोपित की जा सकने वाली राशियां, जो तत्कालार्थ प्रचलित अधिनियम के अधीन भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकने वाली राशियां न हों ; और

(ङ) भूमि के सम्बन्ध में लगान तथा अन्य देयों के कारण राज्यशासन को देय राशियां ;

(च) राज्यशासन को ऐसे व्यक्ति द्वारा चुकाई जा सकने वाली राशियां जो पूर्ववर्ती राशियों में से किसी राशि का प्रतिभू है या भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकने वाली किसी अन्य राशि का प्रतिभू है ।

104. सहभागियों द्वारा देय भूराजस्व की वसूली जोकि नम्बरदार द्वारा चुका दिया गया है.—(1) यदि किसी नम्बरदार ने अपने ऐसे किसी सहभागी जिस का वह प्रतिनिधि है, के भाग के कारण देय बकाया भूराजस्व चुका दिया है तो ऐसी चुकती के छः मास के भीतर वह माल अधिकारी को ऐसा बकाया अपनी ओर से वसूल करने के लिये एक प्रार्थना पत्र लिख कर दे सकेगा मानो कि यह राज्यशासन को देय राजस्व का बकाया था ।

(2) ऐसा प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर माल अधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि अभ्यर्थित राशि (amount claimed) नम्बरदार को देय है और उसके बाद, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये, उस सहभागी से या ऐसे व्यक्ति से जिस के कब्जे में उस का भाग है व्ययों तथा ब्याज सहित ऐसी वसूली करने की कार्यवाही इस प्रकार करेगा मानों यह भूराजस्व का बकाया था ।

(3). जिस राशि की वसूली के लिये इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है, उस से सम्बन्धित बाद में, माल अधिकारी प्रतिवादी नहीं बनाया जाएगा । इस धारा के अधीन माल अधिकारी के आदेश पर कोई अपील न होगी ।

105. इस अध्याय के अधीन वसूल की जा सकने वाली राशियों पर अध्याय 6 की प्रयुक्ति—(1) इस अध्याय में वर्णित या निर्दिष्ट किसी राशि के विषय में, अध्याय 6 के उपबन्ध, जहां तक प्रयुक्त हो सके, इस प्रकार प्रयुक्त होंगे मानों राशि भूराजस्व के बकाया के रूप में थी और जिस व्यक्ति से मूलतः या प्रतिभू होने के नाते यह वसूल की जा सकती थी वह ऐसे बकाया के सम्बन्ध में बाकीदार था।

(2) जब तक किसी तत्काल प्रचलित अधिनियम के द्वारा ऐसी राशि भूराजस्व से भारित भूमि के सम्बन्ध में देय भूराजस्व के रूप में वसूल की जा सकने योग्य घोषित नहीं हो जाती है तब तक उसकी वसूली के लिए उपधारा (1) के अधीन धारा 83 के उपबन्ध प्रयुक्त होंगे।

अध्याय 8

भूमापन (surveys) तथा सीमाएं

106. सीमांकन अथवा मापन के चिन्हों को निर्मित करने के विषय में फाइनेन्शियल कमिश्नर को नियमों को बनाने की शक्तिः—1) फाइनेन्शियल कमिश्नर को हक होगा कि ऐसी रीति के विषय में नियम बनाए जिस के अनुसार किसी स्थानीय क्षेत्र में समस्त या किसी सम्पदा का सीमांकन किया जाएगा और उन सम्पदाओं में मापन चिन्ह (survey marks) लगाए जायेंगे।

(2) इस धारा के अधीन दिए गए नियमों में, अन्य बातों के साथ ही साथ, मापन-चिन्हों का आकार तथा उनके निर्माण में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं विनिहित होंगी।

107. माल-अधिकारियों की सीमांकन करने की शक्ति.—(1) इस अधिनियम के अधीन कोई अभिलेख बनाने या कोई निर्धारण करने के लिये, या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति के प्रार्थनापत्र पर किसी सम्पदा, खाते, क्षेत्र या सम्पदा के अन्य भागों की सीमा अंकित कर सकेगा (define the limits) और उन सीमाओं को दिखाने के लिए मापन चिन्ह निर्मित करवा सकेगा या उन को मरम्मत करवा सकेगा।

(2) (1) के अधीन किसी भूमि की सीमाएं अंकित करने में माल अधिकारी किसी न्यायालय, माल-अधिकारी या वन-विभाग के बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा, या उसके पहले से ही आदेश द्वारा अंकित किसी सीमा पर मापन-चिन्ह निर्मित करवा सकेगा, या किसी न्यायालय या ऐसे किसी अधिकारी द्वारा, या उसके आदेश द्वारा पहले से ही लगाए गए किसी मापन चिन्हों को फिर से लगवा सकेगा।

108. नदी के किनारे की सम्पदाओं के मध्य सीमा नियत करने की शक्ति.—(1) जब कभी दो या अधिक संपदाएं नदी की जद में हों, और उस सम्पदाओं की सीमाएं, किसी ऐसी विधि, रिवाज डकी या आदेश द्वारा जो उन पर प्रवृत्त हो, इसी प्रकार रूपान्तिरित होती हों जैसे कि ऐसी नदी की धार या जद में समय २ पर रूपान्तरण आता है तो राज्यशासन को अधिकार होगा कि ऐसी सम्पदाओं या उन भागों के मध्य जो नदी की गति से जद में आ सकें, स्थायी रूप से एक सीमा नियत करने के लिए आदेश दे।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश दिए जाने पर, तदानुसार कलैक्टर ऐसी सम्पदाओं या उनके भागों के मध्य सीमा की रेखा (boundary line) नियत करेगा, और धारा 106 के अधीन बनाये गये नियमों, (यदि कोई हों) और धारा 107 के उपबन्धों के अनुसार उसका सीमांकन करेगा।

(3) ऐसी प्रत्येक सीमा की रेखा सम्पदाओं के इतिहास, और क्रमशः सम्पदाओं के स्वामियों के या उस पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों के स्वत्वों का उचित ध्यान रखते हुए ऐसी रीति से नियत की जाएगी जोकि प्रत्येक अवस्था की परिस्थितियों में न्यायपूर्ण तथा पक्षपात रहित होगी।

(4) जब तक फाईनेन्शियल कमिश्नर अनुमोदित न करदे तब तक किसी भी सीमा की ऐसी रेखा स्थाई रूप से नियत हुई नहीं मानी जाएगी।

109. नदी किनारे की सम्पदाओं के मध्य सीमा निश्चित करने का प्रभाव.—(1) धारा 108 के उपबन्धों के अनुसार नियत की गई प्रत्येक सीमा की रेखा, किसी विधि, रिवाज या किसी न्यायालय (court of law) से दी गई डिक्री या दिए गए आदेश के अन्यथा होते हुए भी, उस से प्रभावित सम्पदाओं के मध्य नियत तथा स्थिर सीमा होगी और इस प्रकार नियत की गई सीमा के दोनों ओर स्थित प्रत्येक खाते, क्षेत्र या सम्पदा के अन्य भाग के स्वामित्व और अन्य समस्त अधिकार निम्नलिखित परादिक के अधीन रहते हुए ऐसी सम्पदा के भूस्वामियों में निहित होंगे, जो सीमा की रेखा के ऐसी तरफ हैं जिस तरफ कि ऐसा खाता क्षेत्र या सम्पदा का अन्य भाग स्थित है :

परन्तु यदि इस धारा के प्रवर्तन (operation) से सीमा की रेखा नियत करते समय किसी भूमि में कृषि की जाती है या वह कृषि के लिए समयक रूप से योग्य है या उस पर भारी मूल्य की कोई उत्पति होती है, और उसके स्वामित्व के अधिकार या अन्य अधिकार, किसी एक सम्पदा में अधिकार रखने वालों से और उसके भूस्वामियों से किसी अन्य सम्पदा के भूस्वामियों को हस्तांतरित कर दिए जांए तो कलैक्टर लिखे हुए आदेश द्वारा यह निदेश देगा कि धारा 110 और धारा 111 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी भूमि के अधिकार तब तक हस्तांतरित न किए जाएं जब तक ऐसी भूमि जिसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश दिया जाता है, कृषि के लिए समयकतया योग्य नहीं रहती है या भारी मूल्य की उत्पति करने के योग्य नहीं रहती है और ऐसा आदेश दिए जाने के पश्चात् ऐसी भूमि के अधिकारों का हस्तांतरण, तदानुसार स्थगित कर दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसे किसी आदेश में विशिष्ट भूमि का कोई भाग जब कृषि के लिए समयक रूप से योग्य नहीं रहता है या भारी मूल्य की कोई उत्पती करने योग्य नहीं रहता है तो जब कलैक्टर लिख कर ऐसा निदेश दे तो उस भाग के सम्बन्ध में आदेश का प्रवर्तन समाप्त हो जाएगा।

(2) इस धारा की उपधारा (1) के परादिक के प्रयोजनों के लिए कोई भूमि समयक रूप से योग्य है या नहीं या भारी मूल्य की उत्पति करती है या नहीं; इस का निश्चय करने के लिए कलैक्टर का निर्णय अन्तिम होगा।

110. प्रतिधन चुकाने पर धारा 109 की उपधारा (1) के परादिक के अधीन आरक्षित अधिकारों को तुरन्त हस्तांतरित करने के लिए प्रार्थना पत्र तथा उस पर प्रक्रिया प्रतिधन का परिनिर्णय (award of compensation) करना और उसके द्वारा अधिकार समाप्ति.— (1) धारा 109 की उपधारा (1) के परादिक के अधीन जब कोई आदेश दिया गया हो तो भूस्वामी (या उन में से कोई) जिनमें ऐसे आदेश के अभाव में उसमें विशिष्ट भूमि के अधिकार निहित होते, कलैक्टर को ऐसे अधिकार, जिनका हस्तांतरण ऐसे आदेश द्वारा स्थगित कर दिया गया है, तुरन्त हस्तांतरित करने के हेतु उस के लिए प्रतिधन चुका कर, लिख के प्रार्थना पत्र दे सकेंगे ।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना पत्र दिया जाता है तब :—

(क) प्रार्थनापत्र की सुनवाई के लिये कलैक्टर एक दिन नियत करेगा।

(ख) धारा 109 की उपधारा (1) के परादिक के अधीन दिए गए आदेश में विशिष्ट भूमि पर जिन व्यक्तियों के अधिकार होने अभिलिखित हुए हैं, उन की और उस में स्वत्व रखने वाले, या उसमें स्वत्व रखने का दावा करने वाले समस्त अन्य व्यक्तियों की सूचना के लिए कलैक्टर, प्रार्थना पत्र तथा इस की सुनवाई के लिए नियत तिथि की सूचना की तामील या उसकी उद्घोषणा करवायेगा,

(ग) इस प्रकार सुनवाई के किये नियत किये गये दिन या उस दिन जिस दिन के लिये सुनवाई स्थगित किये जा सकने की सम्भावना हो, कलैक्टर भूमि के अधिकारों की पूछ ताछ करेगा और उस पर परिस्थापित हुए समस्त अधिकारों के सम्बन्ध में पृथक रूपेण उस पर हक रखने वाले व्यक्तियों के प्रतिधन का परिनिर्णय करेगा ।

(घ) कलैक्टर प्रार्थी को इस प्रकार परिनिर्णीत प्रतिधन की समस्त राशि की सूचना देगा तथा इस सम्बन्ध में अपने द्वारा नियत किए जाने वाले दिन या उससे पूर्व वह राशि कलैक्टर के पास जमा कराने के लिए उसको अपेक्षित करेगा :

परन्तु इस उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, किसी कलक्टर के लिए स्वेच्छा से, और प्रतिधन का परिनिर्णय करने से पहले, किसी भी समय उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रार्थनापत्र रद्द करना विधियुक्त होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रतिधन का परिनिर्णय करने में, कलैक्टर जहां तक मुकद्दमें की परिस्थिति अनुसार हो सके, Land Acquisition Act, 1894 (लैंड ऐक्वीज़िशन ऐक्ट, 1894) की धारा 23 तथा 24 के उपबन्धों का अनुसरण करेगा।

(4) इस प्रकार परिनिर्णीत प्रतिधन की समस्त राशि कलैक्टर के पास जमा कराने के उपरांत आगामी भई के पन्द्रहवें दिन, धारा 109 की उपधारा (1) के परादिक के अधीन दिया गया आदेश प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा और उसमें विशिष्ट अधिकार धारा 109 की उपधारा (1) में विनिहित रीति से हस्तांतरित कर दिऐ जायेंगे, तथा निहित होंगे चाहे उसके परादिक में कोई भी बात हो और कलैक्टर उन व्यक्तियों को प्रतिधन देना आरम्भ करेगा, जो उसके परिनिर्णय के अनुसार उसको पाने के लिए अलग २ हकदार हैं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उस राशि को, जो इस प्रकार प्रदान की जाये, और

उसको देने के लिये पेश की गई हो, लेने से इन्कार करेगा तो वह राशि उसके नाम पर जनकोष में जमा करा दी जायेगी।

(5) धारा 109 की उपधारा (1) के परादिक के अधीन दिया गया कोई आदेश, जब इस धारा की उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन प्रवृत्त न रहे (cease to operate) या निश्चायक न रहे, तो वे समस्त अधिकार जो ऐसे आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति के लिये सुरक्षित रखे गये हों, समाप्त हो जायेंगे।

111. धारा 109 की उपधारा (1) के परादिक के अधीन दिए गए आदेश की ऐसे अधिकारों पर प्रयुक्ति समाप्त हो जायगी जो अधिकार स्वेच्छा से सम्पदा के ऐसे भूस्वामी को हस्तांतरित कर दिए गए हों जिस को सीमांकन द्वारा भूमि हस्तांतरित की जाती है.— जब कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसी भूमि में कोई अधिकार रखता हो जिस के अधिकारों के विषय में एक आदेश धारा 109 की उपधारा (1) के परादिक के अधीन जारी हो चुका हो, स्वेच्छा से वह अधिकार उस सम्पदा के किसी भूस्वामियों को हस्तांतरित कर दे, जिस के भूस्वामियों में ऐसा आदेश न होने की दशा में धारा 109 की उपधारा (1) के प्रवर्तन से ऐसे अधिकार, निहित होते तो इस प्रकार हस्तांतरित किये गए अधिकार उसके तुरन्त पश्चात् ऐसे आदेश के अधीन न रहेंगे।

112. हस्तांतरित अधिकार उस सम्पदा को धारणावधि के समस्त उद्भवों (incidents) के लिये उत्तरदाई होंगे, जिसमें हस्तांतरण किया गया हो.— प्रत्येक अवस्था में जिसमें धारा 109 या धारा 110 या धारा 111 के प्रवर्तन से स्वामित्व के अधिकार (proprietary rights) तथा अन्य अधिकार किसी एक सम्पदा के भूस्वामियों या उस पर अधिकार रखने वाले अन्य व्यक्तियों से अन्य किसी सम्पदा के भूस्वामियों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं तो ऐसे अधिकार उन समस्त उत्तरदायित्वों और धारणावधियों के उद्भवों (incidents) के अधीन रहेंगे जो तत्काल प्रचलित किसी विधि तथा रिवाज के अनुसार, सम्पदा के भूस्वामियों के अधिकारों से सम्बन्धित हो जिस को ऐसे अधिकार इस प्रकार हस्तांतरित किए जायें।

113. धारा 108 से धारा 110 तक अभिव्यक्ति 'कलैक्टर' का तात्पर्य.— धारा 108 धारा 109 और धारा 110 के प्रयोजनार्थ, क्रमशः उनके उपबन्धों में से किसी के अधीन कलैक्टर का कार्य सम्पादन करने के लिये राज्यशासन द्वारा नियुक्त कोई भी माल-अधिकारी अभिव्यक्ति 'कलैक्टर' के अन्तर्गत समझा जायेगा।

114. मापन चिन्हों को निर्मित करने तथा उनकी मरम्मत करने का व्यय. जिस भूमि की सीमा प्रदर्शन के लिये मापन चिन्ह बने हुये हैं उस भूमि में स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके व्यय पर, फाइनेन्शियल कमिश्नर द्वारा बनाये जा सकने वाले नियमों के अधीन रहते हुए, मापन चिन्ह बनाये जायेंगे या उनकी मरम्मत की जायेगी :

परन्तु किसी भी दशा में राज्यशासन यह निदेशित कर सकेगा कि निर्माण का व्यय शासन वहन करे या ग्राम्य-अधिकारी उपकर की आय से चुका दिया जाये।

115. शासन द्वारा किए गए व्यय की वसूली.—(1) यदि भूमि में स्वत्व रखने वाले व्यक्ति किसी मापन चिन्ह का निर्माण या मरम्मत माल अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए अपेक्षित दिनांक से तीस दिन के मध्य न कर सकें तो माल अधिकारी उन को निर्मित करवा सकेगा, या उन की मरम्मत करवा सकेगा ।

(2) यदि माल अधिकारी मापन चिन्ह लगवाता है या उनकी मरम्मत करवाता है, तो वह अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के निदेशों तथा किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये, भूमि में स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों में, जैसी रीति न्याय पूर्ण समझे उसके अनुसार, व्यय अभिभाजित कर देगा (apportion the cost) और कलैक्टर को उसका प्रमाण दे देगा ।

(3) कलैक्टर व्यय इस प्रकार वसूल कर सकेगा मानों यह भूराजस्व के बकाया के रूप में था ।

116. मापन तथा सीमांकन हेतु भूमि में माल अधिकारी को प्रविष्ट होने की शक्ति.—माल-अधिकारी या कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो माल-अधिकारी के आदेशाधीन कार्य कर रहा हो, इस अधिनियम के अधीन किसी कर्त्तव्य को पूरा करने के लिये भूमि में प्रविष्ट हो सकेगा और भूमापन कर सकेगा, और उस पर मापन चिन्ह बना सकेगा और उसका सीमांकन कर सकेगा तथा वह कर्त्तव्य समयकतया पूरा करने के हेतु अन्य समस्त आवश्यक कार्य कर सकेगा ।

117. अभिलेखों को तैयार करने के हेतु मापन.—(1) जब धारा 47 के खंड (ग) के अनुसार कोई भू-मापन किया जा रहा हो तो मापन का निदेशन करने वाला कोई माल-अधिकारी सूचना या उद्घोषणा द्वारा एक विशिष्ट समय के भीतर उद्घोषणा या सूचना में वर्णित प्रकार के अस्थायी चिन्हों द्वारा, भूमि पर स्वत्व या अधिकार रखने वाले समस्त व्यक्तियों से, उन अधिकारों या स्वत्वों को प्रदर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिस के नाम पर सूचना या उद्घोषणा की गई हो, अधिग्रहण (requisition) का पालन करने में असमर्थ होता है तो माल-अधिकारी के स्वविवेक पर दस रुपये तक के अर्थ दण्ड का भागी होगा ।

118. उन भूमिक्षणों के लिए झण्डाधारियों और शृंखला पुरुषों की व्यवस्था.—(1) धारा 47 के खण्ड (ग) के अधीन नियमों के अनुसार भू-मापन के प्रयोजनार्थ, भूस्वामी झण्डाधारियों और शृंखला पुरुषों का काम करने के हेतु उपयुक्त व्यक्ति देने के लिये बाध्य होंगे ।

(2) यदि भूस्वामी ऐसे व्यक्ति देने या पर्याप्त संख्या में जुटाने में असमर्थ रहें तो जितने अन्य व्यक्ति माल-अधिकारी आवश्यक समझता है, सेवायुक्त किए जा सकेंगे और उनको सेवायुक्त करने का व्यय-भूस्वामियों से इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानों कि यह भूराजस्व के बकाया के रूप में था ।

119. व्यवसायक मापन (professional surveys).—(1) यदि माल अधिकारियों या ग्राम अधिकारियों से अन्य एजैंसी (agency) द्वारा मापन करवाना आवश्यक हो जाए तो राज्यशासन एक अधिसूचना प्रकाशित करवायेगा जिस में निम्नलिखित विषयों के विवरण होंगे :—

(क) वह स्थानीय क्षेत्र जिसका मापन किया जाना अपेक्षित है और जिस प्रकार से मापन किया जायेगा (nature of survey) ;

(ख) जिन अधिकारियों द्वारा मापन किया जाना है उनके नाम या पद नाम (official designation);

(ग) उन अधिकारियों द्वारा निर्मित किये जाने वाले मापन-चिन्हों का प्रकार (kind)।

(2) अधिसूचना की तिथि से उसमें विशिष्ट अधिकारियों तथा उनके आदेशाधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को मापन के प्रयोजनार्थ धारा 116 द्वारा माल अधिकारियों को दी गई शक्तियां प्राप्त होंगी।

120. मापन चिन्हों को नष्ट करने या क्षति पहुँचाने या हटाने के लिए शास्ति.—(1) यदि कोई व्यक्ति जान बूझ कर विधि पूर्वक निर्मित, किसी मापन चिन्ह को नष्ट करता है, क्षति पहुंचाता है या विधियुक्त प्राधिकार के बिना हटा देता है तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार नष्ट किये गये, क्षत हुए या हटाए गए प्रत्येक चिन्ह के लिए, माल-अधिकारी द्वारा अर्थ दण्ड का आदेश दिया जा सकेगा जो एक सौ रुपया से अधिक न होगा और जो माल अधिकारी के विचार में उनको फिर से लगाने के व्यय को पूरा करने और नष्ट करने, क्षति पहुंचाने या हटाने की सूचना देने वाले व्यक्ति को, यदि कोई हो, इनाम देने के लिये आवश्यक है।

(2) इस धारा के अधीन दिये गये अर्थ दण्ड से इण्डियन पैनल कोड (Indian Penal Code) की धारा 434 के अधीन अभियुक्त (prosecution) पर कोई रुकावट न होगी।

121. मापन चिन्हों को नष्ट करने, क्षति पहुँचाने या हटाने की रिपोर्ट.—सम्पदा का प्रत्येक ग्राम्य-अधिकारी सम्पदा में विधि पूर्वक लगाए गये मापन चिन्हों के नष्ट होने, हटाए जाने या क्षति पहुंचाये जाने की सूचना, माल अधिकारी को देने के लिये विधि द्वारा बाध्य होगा।

अध्याय 9

विभाजन (Partition)

122. भूराजस्व तथा लगान के सम्बन्ध में संयुक्त उत्तरदायित्व पर सम्पदाओं और काश्तकारियों के विभाजन का प्रभाव.—(1) जब तक फाइनेन्शियल कमिश्नर की स्पष्ट सहमति (express consent) न हो, इस अध्याय के अधीन या अन्यथा किया गया किसी भूमि का विभाजन, भूमि या तत्सम्बन्धी भूस्वामियों के भूमि पर राजस्व चुकाने के संयुक्त उत्तरदायित्व को प्रभावित नहीं करेगा या कोई नई सम्पदा उत्पन्न नहीं करेगा और यदि उस सहमति में कोई शर्तें भी हों तो वे विभाजन से सम्बन्धित पक्षों पर बाध्य होंगी।

(2) भूमिपति की स्पष्ट सहमति के बिना किया गया किसी काश्तकारी का विभाजन उस में सहभागी व्यक्तियों के उस पर लगान चुकाने के उत्तरदायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

123. विभाजन के लिए प्रार्थनापत्र.—किसी भूमि का कोई संयुक्त स्वामी या किसी काश्तकारी का संयुक्त काश्तकार जिसको आभोग (occupancy) का अधिकार प्राप्त है, स्थिति अनुसार,

भूमि या काश्तकारी में अपने हिस्सों का विभाजन करने के लिए माल-अधिकारी को प्रार्थनापत्र दे सकेगा, यदि:—

(क) अध्याय 4 के अधीन वह हिस्सा प्रार्थनापत्र में दिए गए दिनांक को उसके नाम पर होना अभिलिखित हुआ हो ; या

(ख) हिस्से पर उसका अधिकार ऐसी डिक्री द्वारा स्थापित (established) हुआ हो जो डिक्री उस दिनांक को भी स्थित है; या

(ग) उस अधिकारी की लिखित ज्ञप्ति (written acknowledgement) उसके स्वीकरण या अस्वीकरण में स्वत्व रखने वाले समस्त व्यक्तियों द्वारा निष्पादित की जा चुकी हो।

124. विभाजन पर आयन्त्रण तथा उस की परिसीमाएं.—अन्तिम पूर्ववर्ती उपधारा में किसी बात के होते हुए भी :—

(1) पूजा स्थान और शमशान (burial grounds) जो विभाजन से पूर्व सांझे में हों, विभाजन के बाद भी तब तक सांझे में रहेंगे, जब तक सम्बन्धित पक्ष परस्पर समझौता नहीं कर लेते हैं और समझौते को लेखबद्ध नहीं कर लेते हैं और इसको माल-अधिकारी के पास नत्थी नहीं कर देते हैं (file it with the revenue officer)।

(2) निम्नलिखित सम्पतियों में से किसी का विभाजन, अर्थात :—

(क) किसी बान्ध, जलपथ, कुएं या तालाब, और ऐसी कोई भूमि जिस पर ऐसे किन्हीं कार्यों (works) का जल प्रदाय निर्भर है;

(ख) चरान्द की भूमि; और

(ग) ऐसी कोई भूमि जो किसी ग्राम या कस्बे के स्थान के लिए आवराणीत (occupied) है और उस पर भूराजस्व निर्धारित है, अस्वीकृत किया जा सकेगा, यदि माल-अधिकारी के विचार से ऐसी सम्पत्ति के विभाजन से सहभागियों, या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उस में स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को असुविधा होने की सम्भावना हो या उन व्यक्तियों के लिए उसकी उपयोगिता कम होने की सम्भावना हो।

3. यह तथ्य कि भूमि के संयुक्त-स्वामी के प्रार्थना पत्र पर विभाजन करने से आभोग-अधिकार (rights of occupancy) रखने वाले काश्तकार की काश्तकारी में स्थित भूमि का भागीकरण दो या दो से अधिक अंशों में होना आवश्यक हो जाएगा जिस सीमा तक काश्तकारी को प्रभावित करता है, विभाजन अस्वीकार कर देने लिए तब पर्याप्त कारण रहेगा जब तक कि काश्तकार भागीकरण (severance) के लिए सहमत न हो जाए।

125. विभाजन के लिये प्रार्थनापत्र की सूचना.—माल-अधिकारी धारा 123 के अधीन

प्रार्थनापत्र मिलने पर, यदि वह ठीक हो और प्रकट रूप से उस पर कोई आपत्ति उठाने की संभावना न हो तो उसकी सुनवाई के लिए दिन निश्चित करेगा और :—

(क) ऐसे अभिलिखित सहभागियों पर जो प्रार्थनापत्र में सम्मिलित नहीं हैं, प्रार्थनापत्र की और इस प्रकार निश्चित दिन की सूचना की तामील करवाएगा, और यदि वह हिस्सा जिसके विभाजन के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया है, काश्तकारी का हिस्सा है तो भूमिपति पर ऐसी सूचना की तामील करवयेगा; और

(ख) जिस व्यक्ति को विभाजन में आपत्ति हो, स्वयं अथवा उचित प्रकार से अधिकृत एजैन्ट द्वारा प्रार्थनापत्र की सुनवाई के लिए निश्चित दिन अपने सामने उपस्थित होने के हेतु, और विवरण देने के लिए बुलाने के हेतु एक उद्घोषणा जारी करेगा।

126. प्रार्थना पत्रों के पक्षों में वृद्धि.—सुनवाई के लिए निश्चित किए गए दिन अथवा किसी अन्य दिन जिस पर कि सुनवाई स्थगित की जा सके, माल अधिकारी यह निश्चित करेगा, कि अन्य सहभागियों में से कोई अपने हिस्से का विभाजन करने की भी इच्छा रखता है या नहीं, और यदि उन में से कोई ऐसी इच्छा करता है, तो वह विभाजन के लिए प्रार्थियों के रूप में, उन की वृद्धि कर देगा।

127. विभाजन की कतई अस्वीकृति.—ऐसे सहभागियों और अन्य व्यक्तियों का अनुयोग करके, जो कि उस दिन उपस्थित हों, यदि माल अधिकारी का यह विचार हो कि विभाजन की कतई अस्वीकृति के लिये उपयुक्त और पर्याप्त कारण हैं तो वह अपनी अस्वीकृति के कारण बताते हुये, प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर देगा।

128. प्रार्थना पत्र के स्वीकरण पर प्रक्रिया.—यदि माल अधिकारी अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत नहीं करता तो वह, स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों के मध्य विवाद वाले प्रश्नों का, यदि कोई हों; निम्नलिखित विषयों में भेद करते हुए निश्चय कर सकेगा :—

(क) जिस सम्पत्ति का विभाजन वांछित है, उस के हक (title) के प्रश्न और ;

(ख) सम्पत्ति के बटवारे के बारे में प्रश्न या विभाजन करने की रीति के प्रश्न।

129. जिस सम्पत्ति का बटवारा किया जाना है उस के हक (title) के प्रश्नों की व्यवस्थापना.—यदि ऐसी सम्पत्ति के हक (title) के बारे में, जिसका कि विभाजन वांछित है, प्रश्न उठता है तो माल अधिकारी विभाजन के लिए प्रार्थना पत्र की स्वीकृति तब तक रोक सकेगा जब तक कि प्रश्न अधिकृत न्यायालय द्वारा निश्चित नहीं हो जाता या वह प्रश्न का निश्चय करने के लिए इस प्रकार अग्रसर नहीं हो जाता मानों कि यह ऐसा न्यायालय है।

(2) जब माल अधिकारी स्वयं प्रश्न को निश्चित करने के लिए अग्रसर होता है तो निम्नलिखित नियम प्रयुक्त होंगे, अर्थात :—

(क) यदि प्रश्न ऐसा है जिस पर माल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, तो माल अधिकारी पंजाब टैनेन्सी ऐक्ट, 1887, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त है, के उपबन्धों के अधीन माल न्यायालय के रूप में कार्यवाही करेगा ;

(ख) यदि प्रश्न दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है तो माल अधिकारी की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि दीवानी न्यायालय द्वारा मूल वाद की अन्वीक्षा के लिए प्रयोज्य है, तथा वह निर्णय और डिक्री अभिलिखित करेगा, जिन में ऐसी विशिष्टियां होंगी जिनका उस में विशिष्ट किया जाना कोड आफ सिविल प्रोसीजर (Code of Civil Procedure) द्वारा अपेक्षित है ;

(ग) खण्ड (ख) के अधीन, माल-अधिकारी द्वारा दी गई डिक्री पर अपील इस प्रकार हो सकेगी मानों कि वह किसी मूल वाद के सम्बन्ध में सबोरडिनेट जज (subordinate judge) द्वारा दी गई डिक्री थी ;

(घ) ऐसी अपील के किये जाने पर, स्थिति अनुसार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (District Court) या जूडिशियल कमिश्नर कोर्ट (Judicial Commissioner's Court) अपील की व्यवस्थापना पर्यन्त, कार्यवाहियों को रोकने के लिये, माल-अधिकारी को निषेधादेश (injunction) देगा ;

(ङ) ऐसी अपील पर, डिस ट्रिक्ट कोर्ट (District Court) द्वारा दी गई पुनः विचार डिक्री के विरुद्ध, जूडिशयल कमिश्नरज कोर्ट (Judicial Commissioner's Court) के पास फिर अपील की जा सकेगी यदि तत्कालीन प्रचलित विधि द्वारा ऐसी अपील किया जाना अनुमत हो।

130. अन्य प्रश्नों की व्यवस्थापना.—(1) जब सम्पत्ति के बटवारे या विभाजन करने की रीति के बारे में प्रश्न होता है, तो माल-अधिकारी ऐसी पूछ ताछ, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के बाद प्रश्न पर एक आदेश अभिलिखित करेगा जिस में उस के निर्णय और निर्णय के कारणों का विवरण होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश पर उस के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील दायर की जा सकेगी और जब ऐसी अपील दायर कर दी जाती है और उस की संस्थापना उस व्यक्ति के अधिकार द्वारा जिस को कि अपील की गई है, माल-अधिकारी को प्रमाणित कर दी जाय तो माल-अधिकारी अपील की व्यवस्थापना पर्यन्त कार्यवाही रोक लेगा।

(3) यदि विभाजन के किसी प्रार्थी को, इस धारा के अधीन मूल या पुनः विचार आदेश से संतोष नहीं है और वह अपने भागों से सम्बन्धित विभाजन की कार्यवाही से अलग होने की अनुमति के लिए प्रार्थनापत्र देता है तो उसको उस से अलग होने के लिए ऐसी शर्तों पर स्वीकृति दी जाएगी जैसी कि माल-अधिकारी उचित समझे।

(4) जब कोई प्रार्थी अन्तिम पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन अलग हो जाता है, और अन्य प्रार्थी, यदि कोई हों, कार्यवाहियों को जारी रखने की इच्छा रखते हों, तो माल-अधिकारी उनको उस हद तक जारी रखेगा, जहां तक कि उनका सम्बन्ध उन अन्य व्यक्तियों के भागों के विभाजन से है।

131. विभाजन से अलग की गई सम्पत्ति का प्रशासन. जब कि धारा 124 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट की हुई सम्पत्ति विभाजन से अलग कर दी जाए, तो माल-अधिकारी यह निश्चय कर सकेगा कि उसमें सहभागी और स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्ति, उसका किसी आयति तक और

किस प्रकार प्रयोग कर सकेंगे, और वह अनुपात निश्चित करेगा, जिस में कि उस पर किए गए व्यय और उससे प्राप्त लाभ क्रमशः वे व्यक्ति, या उनमें से कोई वहन करेंगे और उन में बांटे जाएंगे।

132. विभाजन के उपरांत लगान और राजस्व का बटवारा.—(1) विभाजन होने पर जिन खातों में भूमि बांटी गई है, उनके विषय में देय राजस्व की राशि और इस प्रकार जिन भागों में एक काश्तकारी बांटी गई है, उन में से प्रत्येक के सम्बन्ध में, देय लगान की राशि विभाजन करने वाले माल-अधिकारी द्वारा नियुक्त की जाएगी।

(2) प्रत्येक खाते के विषय में, देय राजस्व के सम्बन्ध में, माल-अधिकारी का निश्चय, यदि वह सम्पदा जिस में कि खाता स्थित है स्थायी निर्धारण के अधीन है, धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश समझा जाएगा।

(3) जबकि विभाजन पर नई संपदाओं का निर्माण किया गया हो और उन पर भूराजस्व का बटवारा छल या भ्रांन्ति से किया गया हो तो राज्यशासासन छल या भ्रांन्ति मालूम होने के समय से, बारह वर्ष के भीतर विभाजन के समय, प्रत्येक संपदा के जिस के अनुमान पर, अनेक संपदाओं में भूराजस्व के नए बटवारे का आदेश देगा, जो उनके सम्बन्ध में प्राप्त हो सकने वाले सर्वोत्तम साक्ष्य और सूचना के अनुसार किया जाएगा।

133. विभाजन की लिखत (instrument).—जब पूरा विभाजन हो जाता है, तो माल-अधिकारी विभाजन की लिखत तैयार करवाएगा और उसमें वह ऐसा दिनांक अभिलिखित करवाएगा, जिससे कि विभाजन प्रभावी होगा।

134. विभाजन पर आवंटित सम्पत्ति के कब्जे को प्रदान करना.—जिस स्वामी या काश्तकार को विभाजन की कार्यवाई में भूमि या काश्तकार का यथास्थिति, भाग दिया गया हो, उसको कार्यवाहियों में अन्य पक्षों और उनके वैध प्रतिनिधियों के विरुद्ध, उसका कब्जा प्राप्त करने का हक होगा, और यदि ऐसे किसी स्वामी या काश्तकार द्वारा विभाजन की लिखत में अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन अभिलिखित होने के दिनांक से तीन वर्ष के मध्य इस हेतु किसी भी समय, प्रार्थनापत्र दिए जाने पर माल अधिकारी जहां तक उस लिखत का प्रार्थी से सम्बन्ध है, लिखत को इस प्रकार प्रभावी बनाएगा मानों कि यह अचल सम्पत्ति के लिए दी गई डिक्री थी।

135. वैयक्तिक रुप से किये गए बटवारे की पुष्टि.—(1) ऐसी किसी भी अवस्था में जबकि विभाजन माल-अधिकारी की मुदाखलत के बिना किया गया हो तो उससे सम्बन्धित कोई भी पक्ष, विभाजन की पुष्टि के आदेश के लिए, माल अधिकारी को प्रार्थनापत्र दे सकेगा।

(2) प्रार्थना पत्र के मिलने पर माल-अधिकारी मुकद्दमे की पूछताछ करेगा और यदि उसको यह मालूम होता है कि विभाजन वास्तव में हुआ है तो वह इस की पुष्टि के लिये आदेश देगा और धारा 131, 132, 133, या 134 या न धाराओं में से किसी के अधीन, जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानों कि विभाजन इस अध्याय के अधीन, उस को प्रार्थनापत्र देने पर हुआ था।

136. आगणन और व्ययों का आरोपण.—(1) जब विभाजन की रीति निश्चित की जा चुकी हो, तो माल-अधिकारी विभाजन करवाने के व्यय को आगाणित करवाएगा, और यह निर्देश देगा कि पहले, विभाजन के प्रार्थी या सारे सहभागियों पर विभाजन की प्रगति के दौरान ऐसी किश्तों में, ऐसे समय पर, जैसा कि नियमों द्वारा विनिहित किया जाए, व्यय आरोपित कर दिया जाए।

(2) यदि पहली बार आगणित राशी अपर्याप्त पाई जाती है, तो समय समय पर अनुपूरक आगणन बनाए जा सकेंगे, और उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार अधिक राशि आरोपित की जा सकेगी।

(3) फाइनेन्शियल कमिश्नर इस अध्याय के अधीन विभाजनों के व्ययों को तथा ऐसे व्ययों को अभिभाजित करने की रीति का निश्चय करने के लिए नियम बनाएगा।

37. प्रथाओं के अनुसार भूमि का फिर से बटवारा करना.—जब किसी संपदा में किसी भूमि का प्रस्थापित प्रथा द्वारा समय २ पर फिर से बटवारा होता हो, तो माल-अधिकारी भूस्वामियों में से किसी के भी प्रार्थनापत्र देने पर, प्रथा के अनुसार फिर से बटवारा करा सकेगा और इस प्रयोजन के लिए, वह विभाजन की कार्यवाहियों में मालअधिकारी की समस्त अथवा किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।

138. अधिकारी जिनको कि इस अध्याय के अधीन कार्य करने का अधिकार है.—वह मालअधिकारी जिसके द्वारा, इस अध्याय के अधीन कार्यवाही की जा सकती है, पहली श्रेणी के ऐसिस्टैंट कलैक्टर (Assistant Collector) से कम श्रेणी का माल अधिकारी नहीं होगा।

अध्याय 10

विवाचन (Arbitration)

139. विवाचन के लिए निर्देश देने की शक्ति—कोई भी माल अधिकारी पक्षों की सहमति से किसी विवाद को जो कि उस के सामने इस अधिनियम के अधीन किसी भी विषय में उत्पन्न हो विवाचन के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) कलैक्टर अथवा पहली श्रेणी का कोई भी एसिस्टैंट कलैक्टर बिना पक्षों की सहमति के निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अपने सन्मुख उठने वाले विषयों को विभाजन हेतु निर्दिष्ट कर सकता है:—

(क) कोई भी विषय जिस की प्रविष्टि अध्याय 4 के अधीन किसी अभिलेख या रजिस्टर में होनी हो;

(ख) धारा 60 के अधीन किसी निर्धारण के बटवारे से सम्बन्धित विषय;

(ग) किसी संपदा या खाते या संपदा के किसी क्षेत्र या अन्य भाग की सीमाओं से सम्बन्धित; या

(घ) विभाजन पर जो सम्पत्ति बांटी जानी या विभाजन करने की रीति से सम्बन्धित विषय।

140. निर्देशन का आदेश और उस के विषय.—(1) किसी विवाद को विवाचन हेतु निर्दिष्ट करते समय माल-अधिकारी निर्देशन का आदेश देगा, और उस में विवाचन के लिए भेजा गया यथार्थ विषय,

विवाद के पक्षों द्वारा मनोनीत किए जा सकने वाले मध्यस्थों का मनोनयन करने की अवधि तथा परिनिर्णय देने की अवधि विशिष्ट करेगा।

(2) प्रत्येक पक्ष के मध्यस्थों की संख्या वही होनी चाहिए और दो से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) यदि निर्देश के आदेश में निश्चित अवधि के अन्दर किसी कारण मध्यस्थ मनोनीत नहीं होते हों या परिनिर्णय नहीं दिया जाता है, तो माल-अधिकारी समय २ पर इस की अवधि बढ़ा सकेगा या निर्देश के आदेश को रद्द कर सकेगा।

141. मध्यस्थों का मनोनयन—(1) जब कि मनोनयन करने का आदेश दिया जा चुका हो तो पक्ष आदेश में विशिष्ट संख्यानुसार मध्यस्थ मनोनीत करेगा।

(2) माल अधिकारी किसी भी पक्ष द्वारा मनोनीत किए गए मध्यस्थ को स्वीकार कर सकता है और इस के वह लिखित कारण बतायेगा और पक्षों द्वारा आदेश में बताए गए समय के मध्य मनोनीत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) अन्तिम पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन दिया आदेश अन्तिम होगा।

142. पक्षों द्वारा मध्यस्थों का स्थानापन्न करना.—यदि किसी पक्ष द्वारा मनोनीत मध्यस्थ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या उन्मुक्त होने की इच्छा रखता है या कार्य करने से इन्कार कर देता है अथवा असमर्थ हो जाता है तो पक्ष उस के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकेगा।

143. माल-अधिकारियों द्वारा मध्यस्थों को मनोनीत करना और स्थानापन्न करना.—निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति के होने पर, अर्थात :—

(क) यदि कोई भी पक्ष निर्देश के आदेश (order of reference) से नियत अवधि के अन्दर धारा 141 की उपधारा (1) के अधीन मध्यस्थ मनोनीत करने में असफल रहता है; या

(ख) यदि धारा 141 की उपधारा (2) के अधीन किसी मध्यस्थ का निर्वाचन अस्वीकृत कर दिया गया है और उस उपधारा के अधीन आदेश में नियत समय के मध्य दूसरा मनोनीत नहीं किया जाता है, या इस प्रकार मनोनीत होने पर भी मनोनयन अस्वीकृत कर दिया जाता है, या

(ग) यदि कोई पक्ष, जिसको धारा 142 के अधीन किसी मध्यस्थ के स्थान पर अन्य मध्यस्थ मनोनीत करने का हक प्राप्त है, मनोनयन हेतु सूचना दिए जाने की तिथि से एक सप्ताह के मध्य उसको मनोनीत करने में असफल रहता है; या

(घ) यदि माल अधिकारी द्वारा मनोनीत किया गया मध्यस्थ मृत्यु को प्राप्त होता है या उन्मुक्त होने की इच्छा रखता है या कार्य करने से इन्कार कर देता है अथवा कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो माल अधिकारी किसी व्यक्ति को मध्यस्थपद पर मनोनीत कर सकता है।

144. मध्यस्थों के समने उपस्थित होने का प्रसर.—(1) मध्यस्थों के प्रार्थना पत्र मिलने पर, पक्षों और उन गवाहों के बारे में जिन की मध्यस्थ परीक्षा लेना चाहते हों,

माल-अधिकारी वैसे ही प्रसर जारी करेगा (issue the same processes) जैसे कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने सन्मुख किसी कार्यवाही करने में जारी कर सकता है।

(2) कोई भी ऐसा पक्ष या गवाह उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए प्रसर के पालनार्थ व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने एजैन्ट द्वारा मध्यस्थों के सन्मुख उन की अपेक्षानुसार उपस्थित होने के लिए बाध्य होगा।

(3) प्रसर के पालनार्थ उपस्थित हुए व्यक्ति की जिस विषय में परीक्षा ली जा रही है या जिस विषय के सम्बन्ध में वह विवरण देता है उस में सत्य कथन के लिए तथा प्रसर में विशिष्ट किए जा सकने वाले वियषों से सम्बन्धित प्रलेखों और अन्य वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

145. मध्यस्थों का परिनिर्णय और उसको उपस्थित करना.—(1) मध्यस्थ उन विषयों के सम्बन्ध में जो कि उन को विवाचन के लिए निर्देशित किए गए हों, अपने हस्ताक्षर से परिनिर्णय देंगे और उसमें परिनिर्णय के कारण बतलाएंगे, और मध्यस्थों के बहुमत से किए गए परिनिर्णय से विभिन्न मति रखने वाला मध्यस्थ उस में अपने मतभेद के कारण बतलाएगा।

(2) मध्यस्थ अपना परिनिर्णय माल अधिकारी को स्वयं उपस्थित करेंगे जब तक कि माल-अधिकारी उन को इसे एजैन्ट द्वारा उपस्थित करने की आज्ञा नहीं देता।

146. परनिर्णय के उपस्थापन पर प्रक्रिया.—(1) परिनिर्णय के मिलने पर, यदि पक्ष उपस्थित हों, तो माल अधिकारी पक्षों की आपत्तियों पर, जो कि उन को इस परिनिर्णय के बारे में करनी हों, तुरन्त विचार करेगा और यदि वह अनुपस्थित हों तो विचार करने के लए तिथि नियत करेगा।

(2) जब परिनिर्णय पर विचार करने के लिए तिथि नियत की जा चुकी हो तो उस तिथि अथवा ऐसी तिथि को, जिस तक विचार करना स्थगित किए जा सकने की सम्भावना हो, माल अधिकारी ऐसी कोई आपतियां सुनेगा जो परिनिर्णय के सम्बन्ध में पक्षों ने करनी हों।

(3) माल अधिकारी भी, यदि उचित समझे तो, मध्यस्थों से उन के परिनिर्णय के आधारों के बारे में प्रश्न कर सकता है।

147. परिनिर्णय का प्रभाव.—(1) जो विवाद मालअधिकारी ने विवाचन के लिए भेजा था उस से सम्बन्धित परिनिर्णय को वह स्वीकार, अस्वीकार या संपरिवर्तित कर सकेगा, और अपने नर्णय में ऐसा करने के कारण अभिलिखित करेगा।

(2) उक्त नर्णय पर इस प्रकार अपील हो सकेगी, मानो मध्यस्थ नियुक्त ही नहीं हुए थे।

अध्याय 11

भूमि के सम्बन्ध में विशेष अधिकार क्षेत्र

148. अधिकार अभिलेख बनाने वाले या सामान्य पुनर्निर्धारण करने वाले अधिकारियों को दीवानी न्यायालयों की शक्तियां देने की शक्ति.—(1) राज्यशासन राज पत्र में प्रकाशित किये हुये आदेश द्वारा, किसी माल अधिकारी को, जो धारा 33 के अधीन अधिसूचना के अनुसार किसी स्थानीय क्षेत्र में अधिकार अभिलेख बना रहा हो, या धारा 52 के अधीन अधिसूचना के अनुसार किसी स्थानीय क्षेत्र में

सामान्य पुनर्निर्धारण कर रहा हो, या ऐसे माल-अधिकारी को, जिस के नियन्त्रण में वह अधिकारी है, किसी स्थानीय क्षेत्र में पैदा होने वाले भूमि के सम्बन्ध में समस्त या किसी विशिष्ट श्रेणी के वादों और अपीलों की अन्वीक्षा के हेतु हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स आर्डर (Himachal Pradesh Courts Order) के अधीन निर्मित न्यायालयों की समस्त या किन्हीं शक्तियों को दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश को राज्यशासन पूर्णतया या अंशतया रद्द कर सकेगा (may cancel wholly or in part)।

(3) जब तक उस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश, या उस का कोई भाग प्रचलित रहता है, उस के द्वारा प्रदत्त शक्तियां, ऐसे अधिकारियों द्वारा, जिन को वे शक्तियां प्राप्त हैं, प्रयोग में लाई जाएंगी, अन्यथा नहीं।

(4) उक्त आदेश या उस आदेश के शेष भाग के अधीन, उन को रद्द करते समय जो भी मुकद्दमा माल अधिकारी के विचाराधीन है, उस को तब तक वह इस प्रकार व्यवस्थापित कर सकेगा मानो वह आदेश या वह भाग प्रचलित था, जब तक कि राज्यशासन यह निदेश जिस को वह इस के द्वारा देने के लिये अधिकृत है, नहीं देता है कि वे मुकद्दमे उन न्यायालयों को व्यवस्थापना हेतु हस्तांतरित कर दिये जाएंगे जिन के द्वारा वे व्यवस्थापित किये गये होते यदि आदेश प्रकाशित न हुआ होता।

149. ऐसे अधिकारियों और अपीलों पर नियंत्रण और उन की डिक्रियों और आदेशों की पुनरावृत्ति.—(1) राज्यशासन अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि माल अधिकारियों के नियन्त्रण तथा अधीक्षण से सम्बन्धित इस अध्याय के उपबन्ध, राज्यशासन द्वारा उचित समझे गये उन उपबन्धों के संपरिवर्तनों के साथ, फाइनेन्शियल कमिश्नर के सिवाए, ऐसे किसी भी माल अधिकारी पर, जो हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स आर्डर (Himachal Pradesh Courts Order) में विशिष्ट किन्हीं दीवानी न्यायालयों, या उन के वर्गों की शक्तियों द्वारा सम्पन्न हो, प्रवृत्त हो सकेंगे और उस के द्वारा दी गई डिक्रियों या दिए गए आदेशों पर अपील हो सकेगी, और उस की दी गई डिक्रियां और आदेश ऐसे माल अधिकारी द्वारा पुनरावृत्त हो सकेंगे जिसे अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन ऐसे न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं जिस को हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स आर्डर (Himachal Pradesh Courts Order) के अधीन ऐसी अपीलें सुनने, ऐसी डिक्रियां और आदेश पुनरावृत्त करने की क्षमता है जो उस न्यायालय द्वारा दिये गए होते, जिस की शक्तियों से देने वाला माल अधिकारी सम्पन्न है।

(2) ऐसी कोई अधिसूचना न होने पर, वह माल-अधिकारी, जिस को अन्तिम पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन उपरोक्त रूप से दीवानी न्यायालय की शक्तियां दी गई हों उन शक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स आर्डर(Himachal Pradesh Courts Order) के प्रयोजनार्थ दीवानी न्यायालय समझा जाएगा।

अध्याय 12

अनुपूरक उपबन्ध

राजस्व सम्बन्धी राशि जमा करना

150. लगान से अन्य कतिपय राशियों को जमा करने की शक्ति.—(1) निम्नलिखित दशाओं में किसी दशा के होने पर, अर्थात्:—

(क) जब नम्बदार या अन्य भूस्वामी या भूराजस्व का अभिहस्तांकिती, जिस को कि इस अधिनियम के अधीन लगान के अतिरिक्त अन्य दायित्व के सम्बन्ध में यदि कोई राशि चुकानी है, राशि लेने से इन्कार कर देता है, या उस व्यक्ति को जिस ने कि राशि चुकानी है, रसीद देने से इन्कार कर देता है,

(ख) जब वह व्यक्ति जिस ने राशि चुकानी है, इस संशय में है कि नम्बरदार, अन्य भूस्वामी या भू-राजस्व के अभिहस्तांकिती में से कौन इस को प्राप्त करने का हकदार है,

तो वह व्यक्ति, राशि माल-अधिकारी के कार्यालय में जमा कराने की अनुमति लेने के लिए उस को प्रार्थना पत्र दे सकेगा, यदि प्रार्थी की परीक्षा लेने के बाद माल अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रार्थनापत्र देने के लिए पर्याप्त कारण उपस्थित हैं और यदि प्रार्थी ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो उस की प्राप्ति पर कोई सूचना जारी कर के लगाई जा सकती हो, चुका देता है, तो माल-अधिकारी ऐसी राशि अपने पास ले सकेगा।

(2) जब कि कोई राशि जमा करा दी गई हो तो जमा कराने वाला व्यक्ति नम्बरदार या अन्य भू-स्वामी या भू-राजस्व के अभिहस्तांकिती को, उतनी राशि देने के उत्तरदायित्व से उन्मुक्त हो जायगा।

151. शासन को राशि देय होने की दशा में जमा कराने की रीति.— यदि शासन को देय होने के कारण चुकती करने के लिए राशि जमा कराना अभिप्रेत है तो वह तदानुसार जमा करा दी जाएगी।

152. अन्य राशि जमा कराने की प्रक्रिया.—(1) यदि अन्य किसी भी हेतु राशि जमा कराना अभिप्रेत है तो ऐसी राशि प्राप्त करने पर माल-अधिकारी प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, उसकी प्राप्ति की सूचना देगा, जिन के बारे में इसे यह यकीन हो कि वे जमा कराई हुई राशि को पाने के हक़दार हैं, और वह राशि अपने सन्मुख उपस्थित हुए राशि को लेने के हक़दार को चुका देगा, या यदि वह उचित समझे, तो जमा राशि को तब तक रोक सकता है जब तक दीवानी. न्यायालय यह फैसला नहीं दे देता है कि असली हक़दार कौन है।

(2) राज्य के किसी पदाधिकारी या राज्य के विरुद्ध ऐसे विषयों में जिस में कि इस धारा के अधीन माल-अधिकारी ने कोई कार्य किया हो, कोई भी दावा या कार्यवाही नहीं की जायगी किन्तु इस उपधारा के अधीन उस व्यक्ति को जिस ने कि उस व्यक्ति से जिसे माल-अधिकारी ने भुगतान किया है जमा की गई राशि वसूल करने से कुछ भी नहीं रोकेगा।

माल अधिकारियों द्वारा दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों के आदेशों का निष्पादन

153. भूमि या उपज के विरुद्ध दिए गए प्रसर्गों के निष्पादन के लिए दीवानी और फौजदारी न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेश माल अधिकारी को भेजे जायेंगे.— किसी दीवानी न्यायालय अथवा फौजदारी न्यायालय द्वारा कुर्की के लिए दिए गए आदेश, अथवा भूमि की बिक्री या उस के स्वत्वों अथवा किसी भूमि की उपज की बिक्री या कुर्की के आदेश, कलैक्टर या किसी ऐसे माल अधिकारी को, जिसे कि कलैक्टर इस के लिए नियुक्त करे, भेज जायेंगे, और कलैक्टर या उस अधिकारी द्वारा, राज्यशासन की पूर्व अनुमति और जूडिशियल कमिश्नर की सहमति से, फाइनेन्शियल कमिश्नर द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए गये नियमों के अनुसार और आदेश देने वाले न्यायालय पर प्रवृत्त होने वाली विधि के उपबन्धों के अनुसार निष्पादित किए जाएंगे ।

154. अभिहस्तांकित भूराजस्व की कुर्की. — (1) किसी तत्काल प्रचलित अन्य विधि में कोई बात होते हुए भी किसी न्यायायलय द्वारा अभिहस्तांकित भू-राजस्व की कुर्की के लिए जारी किए गए आदेश में यह अपेक्षा हो सकेगी कि वह व्यक्ति जिस ने भूराजस्व चुकाना है उसे कलक्टर को चुका दे और कलैक्टर न्यायालय के अन्य आदेश देने तक उस को अपने पास रखे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कलक्टर को जो चुकती की गई है , वह चुकाने वाले व्यक्ति का सप्रभाव उन्मोचन होगा ।

कुर्क की गई उपज का परिरक्षण

155. कुर्क की गई उपज का परिरक्षण - (1) किसी न्यायालय या अन्य किसी भूमि के पदाधिकारी द्वारा किसी भूमि की उपज की कुर्की के लिए दिए गये आदेश से, उस व्यक्ति को जिस की उपज हो, काटने, इकट्ठा करने, जमा करने या कोई अन्य ऐसा काय करने, जो कि उस की रक्षा के लिए आवश्यक हो, से नहीं रोक सकेगा ।

(2) कुर्की करने वाला अधिकारी उपज की रक्षा के लये समस्त आवश्यक प्रबन्ध करेगा या करवायेगा, यदि वह व्यक्ति जिस की कि उपज हो, ऐसा करने में असमर्थ हो ।

(3) जब उपज कुर्क होने पर इस की बिक्री की जाए तो खरीदार या खरीदार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर जहां उपज रखी है, प्रवेश करने तथा इस का परिरक्षण करने और इस को हटाने के लिए समस्त आवश्यक काय करने का हक़ होगा ।

उपज का बटवारा

उपज का बटवार - निम्नलिखित दशाओं में से किसी दशा के होने पर, अर्थात् :—

(क) जब कि भूराजस्व भागों में या उपज के मूल्यानुसार दिया जाए ;

(ख) जब कि प्रवर और अवर भूस्वामी, अथवा कसी खाते या काश्तकारी के दो या दो से अधिक अंशधारी उपज में संयुक्त स्वत्व रखते हों और भूस्वामी या काश्तकारों में से कोई भी, स्थतिअनुसार, उपज का मूल्य करने या उसको बांटने के लिए माल-अधिकारी

की सहायता चाहते हों; तो पंजाब टैनेन्सी ऐक्ट, 1887 जैसा कि हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त है, के उपबन्ध, उपज के मूल्य या उसके बटवारे के बारे में वहां तक प्रवृत्त होंगे जहां तक कि वे प्रवृत्त हो सकते हों।

प्रकीर्ण

157. ग्राम्य उपकर.—(1) निम्नलिखित समयों में से किसी भी समय, अर्थात:—

(क) जब सम्पदा के बारे में अधिकार-अभिलेख बनाए जा रहे हों या विशेषतः पुनरावृत्त किए जा रहे हों;

(ख) जब उस स्थानीय क्षेत्र का, जिस में सम्पदा है, सामान्यतः पुनर्निर्धारण किया जा रहा हो, और निर्धारण के पुष्ट किए जाने से पूर्व ;

(ग) किसी अन्य समय जब राज्यशासन ने किसी सपम्दा के बारे में कोई आदेश दिया हो;

माल-अधिकारी ऐसे ग्राम्य उपकरों, यदि सम्पदा में कोई आरोपित किए गए हों, की सूची बनाएगा जो कि राज्यशासन द्वारा सामान्यतः या विशेषतः अनुमोदत हुए हों अथवा इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व जिनका स्वत्व (title) न्यायपूर्वक स्थापित किया जा चुका हो।

(2) ग्राम्य, बाजार या मेलों जिन पर या जिनके कारण उपकर लगाया जाता है, से सम्बन्धित पुलिस या अन्य संस्थापनों के लिए राज्यशासन जैसा उचित समझे उसके अनुसार सूची में दिए गए किसी ग्राम्य उपकर के संग्रहण पर शर्तें लगा सकेगा।

(3) राज्यशासन यह घोषित कर सकेगा कि कोई उपकर, अंशदान या दातव्य जोकि सम्पदा पर लगाया गया है, ग्राम्य उपकर है या नहीं।

(4) अन्तिम पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन, राज्यशासन द्वारा की गई घोषणा निर्णायक होगी और उस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा।

158. प्रवर भूस्वामियों का दातव्य—जब कि प्रवर भूस्वामी को अवर भूस्वामी से किसी भूमि के बारे में कोई दातव्य उच्चावच (fluctuating) मात्रा या राशि, वस्तु या धन के रूप में लेने का अधिकार हो तो कलैक्टर:—

(क) दोनों भूस्वामियों के प्रार्थनापत्र मिलने पर; अथवा

(ख) उनमें से किसी एक भूस्वामी के प्रार्थनापत्र पर राज्यशासज की पूर्व अनुमति लेकर, अवर भूस्वामी द्वारा भूमि के सम्बन्ध में चुकाए जाने वाले भूराजस्व की नियत प्रतिशतता में ऐसे दातव्यों का लघुकरण कर सकेगा।

159. भूराजस्व की चुकती सेवाओं के रूप में किया जाना.—(1) यदि भूराजस्व के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, किसी, नर्बन्ध में विशिष्ठ लोक सेवाओं द्वारा भूराजस्व चुकाने की लिखत देता है तो राज्यशासन पूर्णतया या अंश में ऐसे व्यक्ति को भूराजस्व देने से परिहृत कर सकेगा। निर्बन्ध में दी गई लोक सेवा राज्यशास द्वारा अनुमोदित होगी और उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित की जाएगी।

(2) राज्यशासन उपधारा (1) के अधीन अधिकृत परिहार और किए गए नर्बन्ध को रद्द कर सकेगा।

(3) यदि उस उपधारा के अधीन निर्बन्ध द्वारा, भूराजस्व के स्थान पर लोक सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य भूस्वामी, कलैक्टर के संतोषानुसार सेवा प्रदान करने में असमर्थ रहता है तो कलैक्टर परिहारित भूरास्व का वह भाग निश्चित कर सकेगा, जो कि ऐसी सेवा द्वारा प्रतिनिहित है, जिस के सम्बन्ध में भूस्वामी बाकीदार है, और फाइनेन्शियल कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति ले कर, उस अंश को इस प्रकार वसूल करेगा, मानो यह ऐसे भूराजस्व का बकाया था जो उस भूमि के सम्बन्ध में चुकाया जाना चाहिए था, जिसके बदले सेद्वाएं दी गई थीं।

160. अभिहस्तांकित भूराजस्व नर्धारण करने के व्यय की वसूली.—(1) जब कि उस भूमि पर, जिसका भूराजस्व पूर्णतया अथवा भाग में अभिहस्तांकित किया जा चुका हो, पुनर्निर्धारण किया जाए तो अभिहस्तांकिती पुनर्निर्धारण करने के व्यय का उतना भाग जितना कि फाइनेन्शियल कमिश्नर उचित समझे देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) कलैक्टर द्वारा वह भाग अभिहस्तांकिती को देय भूराजस्व में से उसकी राशि घटा कर वसूल किया जा सकेगा।

161. भूराजस्व के परिहार या हस्तांकन के रद्द करने की शक्ति.—(1) किसी विधि या संविदा में किसी बात के होते हुए भी राज्यशन इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व स्वीकृत किसी भी भूराजस्व के परिहार या अभिहस्तांकन को नियमानुसार रद्द कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ राज्यशासन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के अनन्तर नियम बना सकता है।

162. माल अधिकारियों के आदेशानुसार, सम्पदा की सीमाओं में उपस्थित न होने की दशा में शास्ति.— यदि माल-अधिकारी किसी व्यक्ति को, उस सम्पदा की सीमाओं में जिस में कि वह साधारणतया रहता हो या जहां उसकी भूमि हो और वह उसकी काश्त करता हो—किसी निश्चित समय और स्थान पर, समन, सूचना अथवा उद्घोषणा द्वारा अपने सामने उपस्थित होने का आदेश देता है, और वह व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहता है तो वह व्यक्ति माल-अधिकारी के स्वविवेक पर पचास रुपए तक के अर्थ दण्ड का भागी होगा।

163. संयुक्त भूमियों पर अतिक्रमण करने पर रोकथाम.—(1) जब राजकीय भूमि पर या उस भूमि पर जो सह भागियों के संयुक्त प्रयोजन के लिए विशेष रूप से आरक्षित रखी गई है, यथा स्थिति, किसी व्यक्ति या सह भागियों द्वारा, अतिक्रमण किया जाए, तो माल-अधिकारी स्वेच्छा से या किसी अन्य सहभागी के प्रार्थनापत्र मिलने पर, अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को भूमि से निष्कासित कर सकेगा; और धारा 23 में बतलाई गई रीति अनुसार घोषित हुए आदेश द्वारा फिर से अतिक्रमण करना निषिद्ध कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन माल-अधिकारी की कार्यवाहियां उचित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा दी जा सकने वाली अनुज्ञप्ति डिक्री या आदेश के अधीन रहेंगे।

164. ग्राम-अधिकारी द्वारा रखे गए कागजात, सार्वजनिक प्रलेख समझे जाएंगे.—(1) कोई भी अभिलेख या कागज, जिस को रखना या तैयार करना विधि द्वारा या इस अधिनियम के किसी नियम के अधीन ग्राम्य-अधिकारी से अपेक्षित है, राज्यशासन की सम्पत्ति समझा जाएगा।

(2) ग्राम्य अधिकारी किसी ऐसे अभिलेख या कागज के बारे में जो उस के समारक्षण में हो, इंडियन ऐविडेंस ऐक्ट, 1872 (Indian Evidence Act, 1872) के प्रयाजनार्थ ऐसा लोक अधिकारी समझा जाएगा, जिस के पास ऐसे सार्वजनिक प्रलेख समारक्षित हैं जिन के निरीक्षण का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है।

165. व्यय. - (1) माल अधिकारी, जैसी रीति उचित समझे उस के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के व्यय दे सकेगा और उस का अभिभाजन कर सकेगा।

(2) किन्तु यदि वह आदेश देता है कि ऐसी किसी कार्यवाही की लागत उसके फलस्वरूप न लगाई जावे (shall not follow the event) तो वह ऐसे आदेश के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा।

166. पुनरीक्षा की अपीलों और उस के प्रार्थना पत्रों के लिए परिसीमा अवधि की संगणना (computation).—इस अधिनियम के अधीन दिए गए आदेश के पुनरीक्षण के लिए दिए गए प्रार्थनापत्र या उस के विरुद्ध की गई अपील के लिए अवधि की संगणना करने में उस की परिसीमा इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 [Indian Limitation Act, 1908] के द्वारा प्रशासित होगी।

167. नीलामी या व्यापार के सम्बन्ध में बोली देने के लिये माल अधिकारियों पर नियन्त्रण.—(1) माल अधिकारी या माल कार्यालय में काम करने वाला व्यक्ति:—

(क) स्वयं या एजैन्ट द्वारा अपने नाम पर, या किसी दूसरे के नाम पर, अथवा संयुक्त रूप से या दूसरे के सहभाग में ऐसी सम्पत्ति, जिसे बेचने का आदेश उस जिले के माल अधिकारी या माल न्यायालय ने दिया हो जिस में कि वह सेवायुक्त है, न तो खरीदेगा और न ही उसकी बोली देगा; या

(ख) राज्यशासन द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए उस जिले में व्यापार नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार किसी व्यक्ति को इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1882 (Indian Companies Act, 1882) या अन्य विधि के अधीन समामेलित कम्पनी का सदस्य बनने से नहीं रोका जा सकेगा।

168. नियमों को बनाने की शक्ति.—(1) फाइनेन्शियल कमिश्नर उन अन्य नियमों के इलावा जो कि वह इस अधिनियम के अधीन बना सकता है, उस अधिनियम या तत्काल प्रचलित अन्य अधिनियम से संगत नियम बना सकता है जिन में:—

(ब) किश्तों की संख्या और राशि तथा इस अधिनियम के अधीन भूराजस्व या लगान

के रूप में चुकाई जासकने वाली राशि या ऐसी राशि से भिन्न राशि जिस का कोई अभिलेख बनाया गया हो, चुकाने के समय, स्थान तथा रीति नियत होगी ;

(ख) नम्बरदार या अन्य व्यक्ति द्वारा सहभागियों की ओर से वसूल किए गए लाभों का बटवारा करने की तिथियां नियत होगी ;

(ग) माल-अधिकारियों या माल-न्यायालयों द्वारा जारी किए गए प्रसरों के निष्पादन और तामील के लिए वसूल की जा सकने वाली फीसों, उन फीसों को एकत्रित करने की रीति, उन व्यक्तियों की संख्या जिन को कि इन प्रसरों के निष्पादन की तामील के लिए सेवायुक्त करना है, और उन व्यक्तियों के कर्त्तव्य और पारिश्रमिक (remuneration) विनिहित होगा ;

(घ) उस दशा में जहां पर व्यक्तियों को माल-अधिकारयों के अभिलेखों या ग्राम्य अधिकारियों द्वारा समारक्षित अभलेखों या कागजों का निरीक्षण करने या उनकी प्रतिलिपि प्राप्त करने का हक है, प्रक्रिया का आनियमन होगा और खोजें करने या प्रतिलिपियों के लिए फीसें विनिहित होंगी ;

(ङ) उन पुस्तों (books) प्रविष्टियों, आंकड़ों और लेखों के प्रपत्र विनिहित होंगे, जिनको बनाना, रखना या संकलन करना या किसी पदाधिकारी को भेजना फाइनेन्शियल कमिश्नर आवश्यक समझता है ;

(च) यह घोषित होगा कि उन कार्य्यलयों में कौनसी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी ;

(छ) साधरणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए।

(2) जब तक कि उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तब तक वे राशियां जिन का उन में उल्लेख किया गया है, किश्तों द्वारा उन समयों स्थानों और रीति से चुकाई जा सकेगी, जिस प्रकार वे इस समय चुकाई जा सकती हैं।

(3) फाइनेन्शियल कमिश्नर द्वारा इस धारा या इस अधिनियम की अन्य किसी धारा के अधीन बनाए गए नियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि वे राज्यशासन द्वारा स्वीकृत न हो जाएं।

169. नियम पूर्व प्रकाशन होने के पश्चात् बनाए जाएंगे.—इस अधिनिय के अधीन नियमों को बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन है कि वे पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, बनाए जाएं।

170. वे शक्तियां जिन का प्रयोग फाइन्शियल कमिश्नर समय २ पर कर सकता है.—इस अधिनियम में जो शक्तियां फाइनेन्शियल कमिश्नर को दी गई हैं, उनका प्रयोग वह समय २ पर हर मौके के अनुसार कर सकता है।

दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अपवर्जन (exclusion)

171. माल अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत विषयों में दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की पुनरावृत्ति.—यदि इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था की गई हो उस को छोड़ कर—

(1) किसी भी ऐसे विषय पर, जिस को व्यवस्था करने के लिए राज्यशासन या कोई माल-अधिकारी, इस अधिनियम के द्वारा अधिकृत हो, दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र न होगा, या वह ऐसी रीति का संज्ञान नहीं करेगा जिस के अनुसार राज्यशासन या माल अधिकारी इस अधिनियमके अधीन या द्वारा प्राप्त शक्तियों को प्रयोग करता है, और विशेष कर :—

(2) निम्नलिखित विषयों में किसी भी विषय पर दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा अर्थात् :—

(1) किसी ऐसी भूमि की सीमा का कोई प्रश्न जिस की परिभाषा माल-अधिकारी द्वारा भूमि की की गई हो चाहे उस पर यह अधिनियम प्रवृत्त होता है या नहीं;

(2) किसी माल अधिकारी को अधिकारी के रूप में इस अधिनियम या तत्काल प्रचलित किसी अन्य अधिनियम के अधीन लगाए गए कर्तव्यों का सम्पादन करने के हेतु मजबूर करने के लिए किया गया कोई दावा :

(3) कानूनगो या ग्राम्य-अधिकारी के कार्यालय या किसी ऐसी क्षति के बारे में जो ऐसे कार्यालय से अपवर्जन के कारण हुई हो, या उनके कर्त्तव्य सम्पादन हेतु मजबूर करने या उनकी प्राप्तियों के बटवारे के लिए किये गये किसी दावे पर;

(4) किसी ऐसी अधिसूचना पर जिसमें अधिकार अभिलेख बनाने या पुनरावृत्त करने के आदेश दिया गया हो;

(5) अधिकार अभिलेख या वार्षिक-अभिलेख बनाने या ऐसे अभिलेख में अन्तराविष्टा प्रलेखों को तैयार करने, हस्ताक्षर करने या उनका अभिप्रमाणन;

(6) अधिकार-अभिलेख वार्षिक अभिलेख या इन्तकाल के रजिस्टर की किसी प्रविष्टि को ठीक करना;

(7) किसी अधिसूचना के सम्बन्ध में जो राज्यशासन की स्वीकृति के बाद किसी जिले या तहसील के सामान्य पुनर्निधारण करने के बारे में जारी की गई हो;

(8) इस अधिनियम के अधीन निर्धारित हुए भूराजस्व या किसी अन्य राजस्व के लिए किसी उत्तरदायी व्यक्ति का दावा;

(9) इस अधिनियम के अधीन किसी संपदा पर निर्धारित किये जाने वाले भूराजस्व की राशि या खाते के सम्बन्ध में चुकाई जाने वाली राशि ;

(10) इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किए जाने वाले अन्य राजस्व या इस अधिनियम या तत्काल प्रचलित अन्य किसी भी अधिनियम के अधीन किसी सम्पदा या खाते पर निर्धारित किये जाने वाले किसी उपकर, प्रभार, या स्थानीय कर की राशि या चुकाने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व;

(11) जिस भूस्वामी ने नर्धारण के लिए उत्तरदायी होने से इन्कार करने की सूचना दे दी हो, उस भूस्वामी द्वारा प्राप्य भत्ते से सम्बन्धित कोई दावा, या इस अधिनियम के अधीन नर्धारण के लिए उत्तरदायी होने से किसी व्यक्ति के इनकार करने के फलस्वरूप की गई कार्यवाही से सम्बन्धित या उद्भूत कोई दावा;

(12) बन्ध्या भूमि को संपदा का रूप देना;

(13) किसी भूमि, कारखाने, मात्सिकी या किसी भूमि या जल के प्राकृतिक उत्पादन को लगान से मुक्त रखने का कोई दावा;

(14) राज्यशासन द्वारा भूराजस्व के बकाया या भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकने वाली कोई राशि एकत्रित करने या उस की वसूली के लिये शासन द्वारा प्रवृत्त किए गए किसी प्रसर से सम्बन्धित या उद्भूत कोई दावा;

(15) छल के अतिरिक्त अन्य कसी आधार पर भूराजस्व की वसूली या भूराजस्व के व्यय में वसूल की जा सकने वाली किसी राशि के हेतु बिक्री को रद्द करने के लिए किया गया कोई दावा;

(16) इस अधिनियम के अधीन लगाई गई कोई फीसें, अर्थदण्ड, व्यय या अन्य प्रभार (other charges) की राशि या किसी व्यक्ति का उसे चुकाने के लिए उत्तरदायित्व;

(17) किसी संपदा, क्षेत्र या खाते के विभाजन के लिए कोई दावा, अथवा विभाजन की कार्यवाहियों से सम्बन्धित या उद्भूत कोई प्रश्न जो ऐसा प्रश्न नहीं है, जिसका कि किसी ऐसी सम्पति के हक से सम्बन्ध है जिसका विभाजन वांछित है;

(18) किसी संपदा काश्तकारी या खाते के विभाजन पर भूमि बांटने का कोई भी प्रश्न या ऐसी भूमि के बटवारे का प्रश्न जो प्रस्थापित प्रथा द्वारा समय २ पर फिर से बांटी जाती हो या किसी संपदा या खाते के विभाजन पर या भूमि के नियुक्त कालिक पुनर्वटन पर भूराजस्व बांटने का प्रश्न या काश्तकारी के विभाजन पर लगान बांटने का कोई प्रश्न;

(19) अध्याय 8 की क्रमानुसार धारा 108, 109, 110 तथा 111 के अधीन नदी की जद में आने वाली संपदाओं की सीमा निश्चयन के लिये की गई किसी कार्यवाही से सम्बन्धित या उद्भूत कोई प्रश्न;

(20) इस अधिनियम के अधीन माल-अधिकारी द्वारा संपरिवर्तित या पुष्ट किये गये उपज के मूल्य या बटवारे में दखल देने या उस को रद्द करने का कोई दावा;

(21) ग्राम्य उपकरों की सूची तैयार करने से सम्बन्धित प्रश्न या ऐसे उपकरों के एकत्रीकरण पर राज्यशासन द्वारा आरोपित शर्तों से सम्बन्धित प्रश्न;

(22) किसी प्रवर भूस्वामी के दातव्यों के लघुकरण के लिए इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही;

(23) भूराजस्व की चुकती के बदले लोक सेवा प्रदान करने के निबन्ध को प्रवृत्त करने से उद्भूत कोई दावा;

(24) संग्रहण व्यय के अंश या ऐसे राजस्व को पुनर्निर्धारण करने के व्यय को चुकाने के लिये भूराजस्व के अभिहस्तांकिती के उत्तरदायित्व से उद्भूत कोई दावा या अभिहस्तांकित भूराजस्व को चुकाने के लिये अभिहस्तांकिती के उत्तरदयित्व से उद्भूत या ऐसे व्यक्ति का कोई दावा जो भूराजस्व के लिये उतरदायी होगा यदि भूराजस्व चुकाने के लिये यह अभित्यक्त, अभिसंधित या निष्क्रीत न होत तो ऐसी अभित्यक्ति, अभिसंधित या निष्क्रयण के अभाव में भूराजस्व चुकाने के लिए वह उत्तरदायी हुआ होता और ग्राम अधिकारियों की प्राप्तियों की ऐसी प्रतिशतता जो इस अधिनियम के अधीन तत्काल प्रचलित नियमों द्वारा विनिहित की जा सके।

अनुसूची

(देखिये धारा 2)

निरस्त अधिनियम

संख्या तथा वर्ष	अधिनियम का नाम या विषय	निरसन की मात्रा
(1) Act XVII of 1887	The Punjab Land Revenue Act, 1887 as applied to H. P. vide H. P. (Application of Laws) Order, 1948.	The whole समस्त
(2) Act III of 1952	The Punjab Land Revenue (Himachal Pradesh Amendment) Act, 1952.	The whole समस्त

Printed and Pulbished in India by the Manager H. P Govt. Press, Simla-3.